आज़ादी का अमृत महोत्सव

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र
Regional Centre
for Biotechnology

जैव दर्पण

तृतीय अंक

सौजन्य : शिवम अग्रवाल

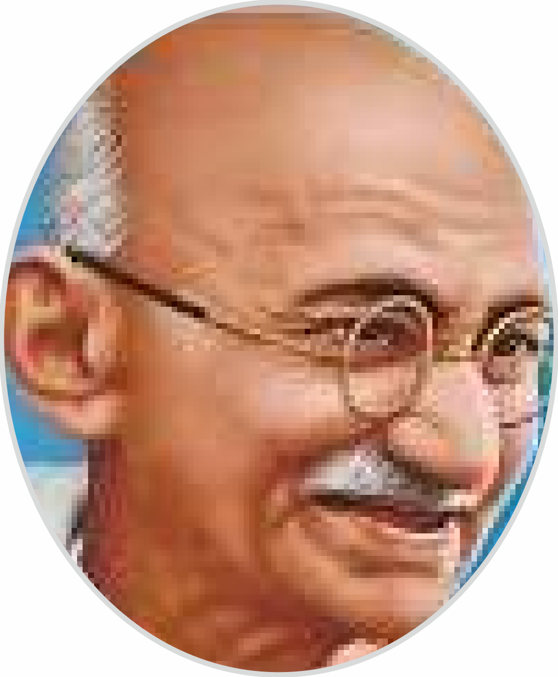

’युवक और युवतियाँ अंग्रेजी और दुनिया की दूसरी भाषाएँ खूब पढ़ें और जरूर पढ़ें। लेकिन उनसे मैं आशा करूँगा कि वे अपने ज्ञान का प्रसाद भारत को और संसार को उसी तरह प्रदान करेंगे, जैसे बोस, राय और स्वयं कवि रवीन्द्रनाथ ने प्रदान किया है। मगर मैं हरगिज़ यह नहीं चाहूँगा कि कोई भी हिन्दुस्तानी अपनी मातृभाषा को भूल जाए या उसकी उपेक्षा करे या उसे देखकर शरमाए अथवा यह महसूस करे कि अपनी मातृभाषा के जरिए वह ऊँचे से ऊँचा चिन्तन नहीं कर सकता है।’

-महात्मा गाँधी

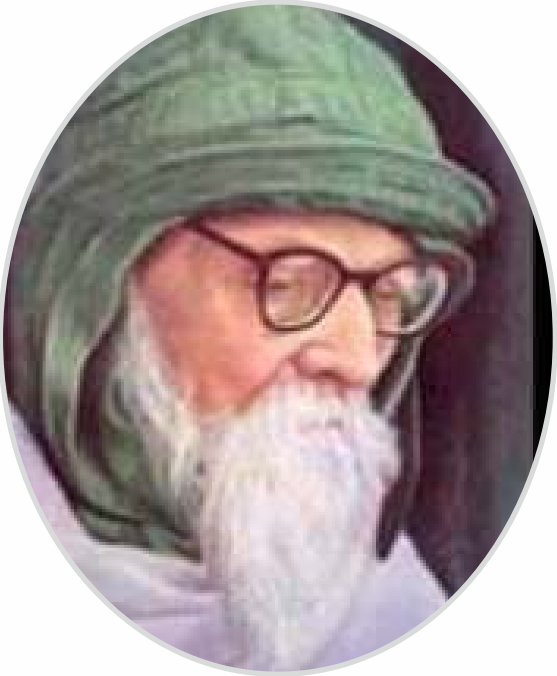

मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्ज़त करता हूं, पर मेरे देश में हिंदी की इज्ज़त न हो, यह मैं सह नहीं सकता।

- आचार्य विनोबा भावे

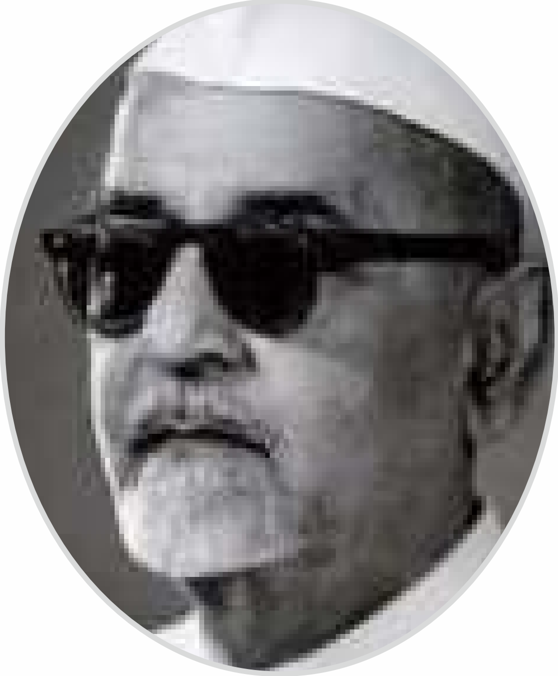

हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रुपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुन्दर हार का सृजन करेगी।

- डॉ. जाकिर हुसैन

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
संदेश	1
प्रदूषण	7
लेख	
ध्वनि प्रदूषण	17
प्रदूषण और पंचतत्व : असंतुलित संबंध	18
कविताएं	
मैं हिंदी हूँ	20
चंद्रयान–3	20
खाली मुट्ठी	21
जाम–ए–इश्क	21
हे भारत के राम जगो	22
तुम चलो तो सही	23
कहानियां	
पुरुषार्थ	24
नसीब	25
गुरु की सीख	27
घमंड कभी न करने का ज्ञान	31
राजभाषा अवलोकन	32
राजभाषा की बढ़ती लोकप्रियता	38
शैक्षिक गतिविधियां	40
अन्य गतिविधियां	43

संदेश

संस्थान की हिंदी पत्रिका 'जैव दर्पण' के तीसरे अंक को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा हिंदी सांस्कृतिक विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। किसी भी कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए राजभाषा पत्रिका रचनात्मक सेतु का कार्य करती है। ये पत्रिकाएं राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा कार्मिकों को विचार साझा करने के लिए मंच भी प्रदान करती हैं। हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने सरकारी काम–काज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। हिंदी को राजभाषा के रूप में सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि केन्द्र में कार्यरत सभी कार्मिक हिंदी में कार्य करते हुए अपना पूर्ण सहयोग दें।

सभी को अपने कार्य–व्यवहार में राजभाषा हिंदी के प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए, ताकि सामान्य नागरिकों तक सरकारी नीतियों/कार्यक्रमों की जानकारी पहुँच सके।

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सरल और सुगम बनाने हेतु हमने जैव दर्पण के इस अंक में राजभाषा नीति के बारे में जानकारी प्रदान की है तथा अंग्रेजी–हिंदी शब्दावली और रोजमर्रा में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी/हिंदी वाक्यांश आदि को भी शामिल किया है। आशा है कि यह पत्रिका हम सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और इससे निश्चित ही राजभाषा हिंदी में कार्य को बढ़ावा मिलेगा।

पत्रिका का यह अंक 'प्रदूषण' पर केंद्रित है। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सभी का मौलिक अधिकार है। आज के बदलते परिवेश में संपूर्ण विश्व प्रदूषण की चिंताजनक समस्या का सामना कर रहा है। मानवीय गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को भी हानि पहुंचाता है। इस समस्या के निराकरण हेतु हमें निजी स्तर के साथ–साथ सामूहिक प्रयास करने चाहिए।

पत्रिका के रचनाकारों और पाठकों को मेरी शुभकामनाएं।

–डॉ. अरविंद के. साहू
कार्यपालक निदेशक

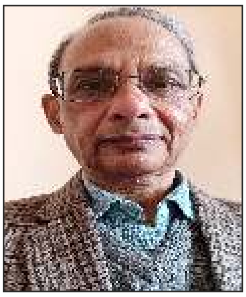

संदेश

जैव दर्पण के तीसरे अंक को देखकर मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है कि यह पत्रिका अब पटरी पर आ गई है और आने वाले वर्षों में जैव दर्पण के अंक नियमित रूप से प्रकाशित होते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में अनेक छात्र और कर्मी पत्रिका से जुड़ेंगे। जैप दर्पण हमारे संस्थान में साहित्य के प्रति रुचि जागृत करेगी और साथ ही साथ हिंदी के प्रचार–प्रसार में सहयोग देगी।

मैं 'जैव दर्पण' की सफलता की मंगल कामना करता हूँ।

–प्रो. राजेन्द्र प्रसाद रॉय,
अधिष्ठाता

संदेश

आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने के लिए ठोस कार्य किए जाएं। यह तभी संभव है जब हमें अपनी भाषा के प्रति दायित्वों का स्पष्ट ज्ञान हो, लक्ष्य प्राप्ति की सार्थक योजनाएं बनें और दृढ़ता से योजनाओं को कार्यान्वित कर उनका निरंतर मूल्यांकन किया जाए। हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।

मानव जीवन में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसे विशाल देश में अनेक भाषा–भाषियों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत महसूस की गई जो संपर्क भाषा का माध्यम बने। निःसंदेह हिंदी अपना यह दायित्व पूरा करने में सफल रही है। आज न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हिंदी का बोलबाला है। समय की मांग को देखते हुए हमें अपने दैनिक कार्यों के साथ–साथ सरकारी कामकाज में भी हिंदी का यथासंभव प्रयास करना चाहिए।

पत्रिका के प्रकाशन के लिए राजभाषा अनुभाग के संपादक मंडल तथा रचनाकारों से प्राप्त सहयोग और प्रेरणा के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और 'जैव दर्पण' पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई देता हूं।

–डॉ. सुदीप भार
प्रशासन नियंत्रक

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र 'जैव दर्पण' पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने मे हिंदी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस भाषा का सम्मान करना हम सबका दायित्व है। हम अपनी शोध गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए सरकार की राजभाषा नीति एवं नियमों के अनुपालन में सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। इक्कीसवीं सदी तकनीक के विस्तार की सदी है। इसी सदी में हिंदी ने तकनीक से प्रगाढ़ दोस्ती कायम की है। हिंदी जब से तकनीक से जुड़ी है, उसकी उपयोगिता और महत्ता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। 1980 के दशक में हिंदुस्तान में कंप्यूटर के अनुप्रयोग से भाषाई स्तर पर अवसर के नए द्वार खुले। हिंदी भी कंप्यूटर से जुड़ी। यह गौर करने की बात है कि भारत में 1990 के दशक में शुरू हुई भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने संचार की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। हिंदी अनेकरूपा हुई। शुरुआती दौर में हिंदी ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए रोमन लिपि का सहारा लिया जो आज भी प्रचलन में है, किंतु तकनीक में हो रहे नए आविष्कारों ने देवनागरी में अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए हैं। आज यूनिकोड फॉन्ट के प्रयोग से तकनीक की दुनिया में हिंदी का मानक रूप काफी कुछ स्थिर हुआ है।

मुझे विश्वास है कि इस पत्रिका की पठन सामग्री पाठकों के लिए रोचक व प्रेरणादायक सिद्ध होगी। आशा करता हूं कि राजभाषा के प्रचार–प्रसार के दायित्वों का निर्वाह करते हुए पत्रिका के संपादक मंडल के अथक प्रयासों तथा रचनाकारों के बहुमूल्य सहयोग की सराहना करता हूं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

–प्रो. शिवाराम वी.एस. माइलावरापु,
कुलसचिव

संपादक

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र का राजभाषा अनुभाग हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रयासों के प्रति कृत संकल्प तथा पूर्णतया प्रतिबद्ध है। हिंदी पत्रिका 'जैव दर्पण' के संपादन के दायित्व को पूरा करने का प्रयास हमारा सौभाग्य है। स्मरण कराना चाहूंगी कि आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था। इसीलिए भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तब से आज तक केंद्र सरकार द्वारा राजभाषा से संबंधित कई अधिनियम, नियम, संकल्प, उपबंध आदि जारी किए गए हैं। भारतेन्दु हरीषचंद्र के ये शब्द किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए सटीक सिद्ध होते हैं:–

'निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नति को मूल'

उपरोक्त कथन को, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा, विदेशी दौरों के दौरान भी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग, सत्य सिद्ध करता है। यह समस्त भारतीयों के लिए गर्व की बात है क्योंकि यह हमें विश्वास दिलाता है कि यह एक ऐसे राजनेता हैं जो हमें वैश्विक स्तर पर न केवल राजनैतिक, आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में आगे ले जा रहे हैं, बल्कि अपनी संस्कृति का जश्न मनाने और संपूर्ण विश्व में निज भाषा में अपने संबोधन देकर प्रत्येक भारतवासी को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं।

निःसंदेह, इस केन्द्र में हिंदी में कार्य एवं हिंदी संबंधित गतिविधियों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। राजभाषा अनुभाग एवं आई.टी. अनुभाग के महत्वपूर्ण योगदान से नई तकनीकों द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जा रहा है जिसका परिणाम स्पष्ट है क्योंकि अधिकांश अधिकारिक काम हिंदी में शुरु हो गया है। यह देखकर अति प्रसन्नता होती है जब हमारी संस्था के वरिष्ठ अधिकारीगण, अहिंदी भाषी राज्यों के हमारे अधिकारी एवं कर्मचारी आगे आते हैं और हिंदी में सीखने और काम करने की कोशिश करते हैं तथा राजभाषा हिंदी में कार्य करते हुए गौरवान्वित मसूस करते हैं।

'जैव दर्पण' पत्रिका के प्रकाशन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग तथा प्रेरणा के लिए मैं आभार प्रकट करती हूं। पत्रिका में रचनाकारों की सृजनशीलता, विभिन्न लेखों, कहानियों, कविताओं, संस्मरणों तथा विभागीय गतिविधियों को छायाचित्रों से सुसज्जित करने का हमारा यह प्रयास आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है।

–डॉ. निधि शर्मा
कार्मिक अधिकारी एवं
हिंदी नोडल अधिकारी

सह-संपादक

संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सरकारी कामकाज में हिंदी में कार्य करना हमारा नैतिक व संवैधनिक कर्तव्य है। अभिव्यक्ति मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। हिंदी सहज, सरल और उदार भाषा होने के साथ–साथ सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके लिए मातृभाषा से बेहतर अन्य कोई माध्यम नहीं हो सकता। नई तकनीक और प्रौद्योगिकी के सहयोग से इसकी क्षमता, सामर्थ्य और शब्द संसाधन का समृद्ध विकास हो रहा है। हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति व संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक, परिचायक और संभवतः विश्व की वैज्ञानिक भाषा भी है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह हर्ष का विषय है कि आज भारत में ही नही, बल्कि विश्व पटल पर हिंदी का अस्तित्व बढ़ रहा है जिसे देखते हुए वह दिन दूर नहीं, जब हिंदी विश्व भाषा के पद पर प्रतिस्थापित होगी।

गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन से कार्यालय में राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। मुझे विश्वास है कि जैव दर्पण के इस अंक को पढ़कर पाठक अपने दैनिक कार्यालयी प्रयोजनों की प्राप्ति में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कर राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देंगे।

– महाराम तंवर,
सलाहकार (राजभाषा)

प्रदूषण

पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण और जीव–जन्तुओं को नुकसान पहुँचाता है, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के अवशेष को जब मानव निर्मित वस्तुओं के अवशेष से मिला दिया जाता है तब दूषक पदार्थों का निर्माण होता है। दूषक पदार्थों का पुनर्चक्रण नही किया जा सकता है।

पृथ्वी का वातावरण स्तरीय है। पृथ्वी से लगभग 50 किमी ऊँचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर है जिसमें ओजोन स्तर होता है। यह स्तर सूर्यप्रकाश की पराबैगनी (UV) किरणों को शोषित कर उसे पृथ्वी तक पहुँचने से रोकता है। आज वातावरण में स्थित क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) गैस के कारण ओजोन स्तर का तेजी से विघटन हो रहा है।

सर्वप्रथम वर्ष 1980 में देखा गया कि ओजोन स्तर का विघटन सम्पूर्ण पृथ्वी के चारों ओर हो रहा है। इस विशाल घटना को ओजोन छिद्र (ओजोन होल) कहते हैं।

ओजोन स्तर के घटने के कारण ध्रुवीय प्रदेशों पर बर्फ पिघल रही है तथा मानव को अनेक प्रकार के चर्म रोगों का सामना करना पड़ रहा है। ये रेफ्रिजरेटर और एयरकंडीशनर के उपयोग में होने वाले फ़्रियोन और क्लोरोफ्लोरो कार्बन, (CFC) गैस के कारण उत्पन्न हो रही समस्या है। आज हमारा वातावरण दूषित हो गया है। वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस के कारण वायु प्रदूषित होती है। यह सच है कि पर्यावरण मानव कृतियों से निकलने वाले कचरे को नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है जिससे जल प्रदूषण होता है। मानव निर्मित अवशेषों का अलग न करने के कारण कचरे को फैंके जाने से भूमि प्रदूषण होता है।

प्रदूषण कई प्रकार के होते है जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि।

वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूलकणों आदि की उपस्थिति, जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। वायु का अवांछित रूप से गंदा होना, वायु प्रदूषण है। वायु में ऐसे बाह्य तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य एवं जीव–जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाती है तथा ऐसी स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं।

भारत में गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, आदि जैसी गंभीर समस्याओं की श्रेणी में वायु प्रदूषण की समस्या भी शामिल हो चुकी है जिसका स्तर प्रत्येक वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। अख़बारों और टीवी में वायु प्रदूषण तथा

उससे होने वाली मौत से जुड़ी ख़बरें रोज़ देखने को मिल जाती हैं और अक्सर ऐसे आंकड़े सामने आते रहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत में ही हैं।

वायु प्रदूषण के कारण

- भारत में बहुत सारे उद्योग और पावर प्लांट हैं जहाँ दूषित धुएँ का उत्सर्जन होता है और यह धुआँ हवा में मिलकर हवा को भी प्रदूषित करता है। यही कारण है कि पावर प्लांट और उद्योगों के कारण अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है।
- बढ़ती आबादी के साथ–साथ हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं और लोगों के पास निजी वाहन भी बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक वाहनों की जगह निजी वाहनों का इस्तेमाल करने से गाड़ियों से निकलने वाला दूषित धुआँ हवा में प्रदूषण फैलाता है।
- कारख़ानों और फ़ैक्टरियों की चिमनियों से लगातार भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्सइड एवं अन्य रासायनिक धुएं का उत्सर्जन होता है जो वायु प्रदूषण बढ़ाता है।
- हमारे घरों और ऑफ़िस में लगे एयर कंडीश्नर से क्लोरोफ्लोरो कार्बन निकलते हैं जो हमारे वातावरण को गंभीर रूप से दूषित करते हैं और साथ ही ओज़ोन परत को भी नुकसान पहुँचाती है।
- मौजूदा हालातों को देखा जाये तो पिछले 3–4 वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली एवं आसपास के इलाकों में सर्दियों की शुरुआत और दीवाली पर जलाये जाने वाले पटाखों के कारण प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। ख़बरों और तथ्यों के अनुसार हर साल फसल कटने के बाद किसानों द्वारा पराली जलाई जाती है जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में धुएँ का उत्सर्जन होता है। यह धुंआ दिल्ली के निकटवर्ती इलाकों को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है।

वायु प्रदूषण का प्रभाव

- हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, खाँसी, अँधापन, शारीरिक कमजोरी, त्वचा रोग जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं। लंबे समय के बाद इससे विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और अपनी चरमसीमा पर यह घातक भी हो सकती है।
- वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है तथा आँखों में जलन होती है।
- ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक प्रकार का रक्षा कवच है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण अनुवाशंकीय तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं।
- वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइआक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस आक्साइड का हानिकारक प्रभाव कम नहीं होता है।
- वायु प्रदूषित क्षेत्रों में जब बरसात होती है तो वर्षा में विभिन्न प्रकार की गैसें एवं विषैले पदार्थ घुलकर धरती पर आ जाते हैं जिसे 'अम्लीय वर्षा' कहा जाता है।

वायु प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय

- निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों तथा कार पूलिंग का इस्तेमाल करें क्योंकि सड़क पर जितनी कम गाड़ियाँ रहेंगी उतना कम प्रदूषण होगा। अपने बच्चों को निजी वाहन से स्कूल छोड़ने की जगह उन्हें स्कूल की बस में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। साइकिल के इस्तेमाल से पर्यावरण के नुकसान को बचाया जा सकता है और स्वस्थ्य जीवनशैली की तरफ एक कदम उठाया जा सकता है।
- हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली उत्पन्न करने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग न करके सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा।

जल प्रदूषण

जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना जिससे वह पीने योग्य नहीं रहता। जल प्रदूषण भारत में व्याप्त सबसे बड़े संकटों में से एक है। इसका सबसे बड़ा स्रोत बिना ट्रीटमेंट किया सीवेज का पानी है। प्रदूषण के कई अन्य स्रोत भी हैं जैसे खेतों से निकलता हुआ पानी तथा छोटे और अनियंत्रित उद्योगों से आने वाला पानी। हालात इतने गंभीर हैं कि भारत में कोई भी ऐसा जल स्रोत नहीं बचा है जो प्रदूषित न हो। वास्तव में देश के 80 प्रतिशत से ज्यादा जल स्रोत अत्यधिक प्रदूषित हो चुके हैं। गंगा और यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है।

जल प्रदूषण के मुख्य कारण

- मलनिष्कासन एवं साफ–सफाई का उचित प्रबंधन न होना।
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नालों एवं नहरों में विसर्जन।
- कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना।
- नदियों में कचरा, मानव–शवों तथा पारम्परिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाली प्रत्येक घरेलू सामग्री का निकटवर्ती जल स्रोत में विसर्जन।
- गंदे नालों / सीवरों के पानी का नदियों मे प्रवाहित करना।
- कच्चा पेट्रोल, कुँओं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है जिससे जल प्रदूषित होता है।
- कुछ कीटनाशक पदार्थों के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्री जानवरों एवं मछलियों आदि को हानि पहुँचाता है जिससे खाद्य श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

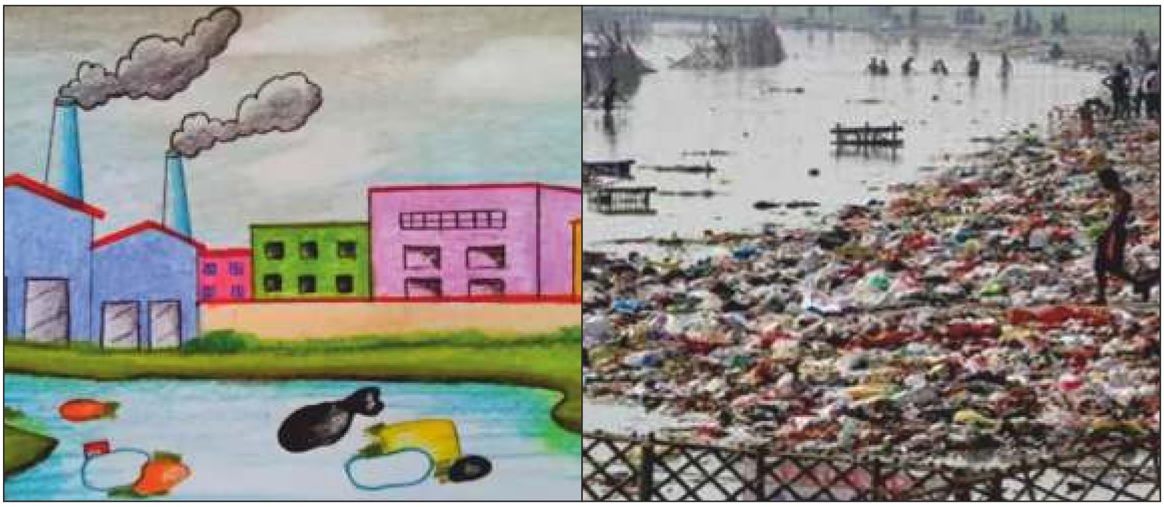

जल प्रदूषण के प्रभाव

- इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है जिससे टाईफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती हैं।
- इससे विभिन्न जीव तथा वानस्पतिक प्रजातियों को नुकसान व हानि पहुँचती है। इससे पेयजल की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों यहाँ तक कि भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है।
- सूक्ष्मजीव जल में घुले हुये ऑक्सीजन के एक बड़े भाग को अपने उपयोग के लिये अवशोषित कर लेते हैं। जल में जैविक द्रव्यों की अधिकता से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जिसके कारण जल में रहने वाले जीव–जन्तुओं की मृत्यु हो जाती है।
- प्रदूषित जल से खेतों में सिंचाई करने पर प्रदूषक तत्व पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। इन पौधों अथवा इनके फलों को खाने से अनेक भयंकर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
- मनुष्यों द्वारा घरों व उद्योगों से निकलने वाले कचरे को नदियों, नालों, नहरों, झीलों व समुद्रों में डाला जा रहा है। नदियाँ भी अपना प्रदूषित जल समुद्र में मिलाकर उसे लगातार प्रदूषित कर रही हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि भूमध्य सागर में कचरा डालना बंद न किया गया तो डॉल्फिन और टूना जैसी सुंदर मछलियां नष्ट हो जाएंगी।

औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ प्रायः क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जस्ता, निकिल एवं पारा आदि विषैले पदार्थों से युक्त होते हैं। यदि इस जल का सेवन किया जाए अथवा इसमें पलने वाली मछलियों को खाने के माध्यम से यह शरीर में पहुँच जाए, तो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इन बीमारियों में अंधापन, पक्षाघात और श्वसन क्रिया आदि का विकार शामिल है। जब यह जल, कपड़ा धोने अथवा नहाने के लिये नियमित प्रयोग में लाया जाता है तो त्वचा रोग की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

जल प्रदूषण रोकने के उपाय

मिट्टी के कटाव की वजह से भी जल प्रदूषित होता है। ऐसे में, यदि मिट्टी का संरक्षण किया जाए तो हम कुछ हद तक जल प्रदूषण रोक सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा पौधे या पेड़ लगाकर मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। खेती के ऐसे तरीके अपना सकते हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। इसके साथ ही जहरीले कचरे के निपटान के सही तरीकों को अपनाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे बताए गए कुछ तरीकों से इस समस्या को दूर किया जा सकता है:

1. जलमार्गों और समुद्री तटों की सफाई।
2. प्लास्टिक जैसे जैविक तौर पर नष्ट न होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल न करें
3. जल प्रदूषण को कम करने के तरीकों पर काम करें।
4. जल प्रदूषण के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाएं।

भूमि प्रदूषण

भूमि प्रदूषण से अभिप्राय जमीन पर ज़हरीले अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। भूमि प्रदूषण का पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव एक गंभीर वैश्विक समस्या बन गई है।

भूमि प्रदूषण के कारण

- कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग।
- औद्योगिक इकाईयों, खानों तथा खादानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन।
- भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन।
- कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान, जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते।
- प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग, जो जमीन में दबकर नहीं गलती।
- घरों, होटलों और औद्योगिक इकाईयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, काँच, सेरामिक, सीमेंट आदि सम्मिलित हैं।

भूमि प्रदूषण का प्रभाव

- कृषि योग्य भूमि की कमी।
- खाद्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।
- भूस्खलन तथा इससे होने वाली हानियाँ।
- जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि।

भूमि प्रदूषण को रोकने के उपाय

सरकार ने मिट्टी में प्रदूषक तत्वों को शामिल करने वाली प्रथाओं को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम के माध्यम से कदम उठाया है। पर्यावरण अनुकूल निम्नलिखित गतिविधियों को अपनाकर हम भूमि प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैंः—

- पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा प्रदूषण रोकें। सामग्रियों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से अपशिष्ट कम होता है, भूमि प्रदूषण कम होता है और आपका पैसा बचता है।
- खेती में रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशकों के बजाय जैविक कीट प्रबंधन रणनीतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रदूषण को कम करने का एक अन्य विकल्प अकार्बनिक उर्वरकों के बजाय पशु खाद का उपयोग करना है जो 'पारंपरिक' अकार्बनिक उर्वरकों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को ओवरलोड करने से बचाता है।

- अपशिष्ट में कमी: संसाधनों के संयमपूर्वक उपयोग तथा अपशिष्ट को कम करके भूमि प्रदूषण कम किया जा सकता है। उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण करके लैंडफिल में निपटान किए जाने वाले कचरे की मात्रा को सीमित करने में मदद कर सकते हैं।
- ऊर्जा विभाग के अनुसार, तेल और गैसोलीन जैसे गैर–नवीकरणीय संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करके भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
- जैविक उत्पाद की खरीद: मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए जैविक उत्पाद खरीदना सबसे सरल तरीकों में से एक है। जैविक भोजन का उत्पादन, कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए पारंपरिक कृषि में नियोजित किया जाता है। जैविक वस्तुएं खरीदने से अजैविक भोजन की मांग कम हो जाएगी और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग के अवसर कम हो जाएंगे।
- वनों की कटाई के कारण भूमि कटाव होता है जिसे रोकने के लिए अधिकाधिक संख्या में पौधारोपण करना चाहिए। पौधारोपण से भूमि प्रदूषण कम होता है।

ध्वनि प्रदूषण

अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को 'डेसिबल इकाई' में मापा जाता है।

ध्वनि प्रदूषण का कारण

- शहरों एवं गाँवों में किसी भी त्योहार व उत्सव में राजनैतिक दलों के चुनाव प्रचार व रैली में लाउडस्पीकरों का अनियंत्रित उपयोग।
- अनियंत्रित वाहनों के विस्तार और उनके इंजन एवं हॉर्न के कारण।
- औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर सायरन, हॉर्न तथा मशीनों से उत्पन्न शोर।
- जनरेटरों एवं डीजल पम्पों आदि से ध्वनि प्रदूषण।

ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव

- ध्वनि प्रदूषण तनाव, चिंता और अन्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा कर सकता है, विशेषकर जब शोर निरंतर तेज़ या अप्रत्याशित हो। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में रहने से चिड़चिड़ापन, नींद में व्यवधान और एकाग्रता में कमी हो सकती है।
- बच्चों में ध्वनि प्रदूषण उनके विकास पर प्रभाव डाल सकता है। समय के साथ, ध्वनि प्रदूषण के कारण उनकी सीखने, ध्यान केंद्रित करने और संवाद करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है जिससे आक्रामकता और अतिसक्रियता जैसी व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

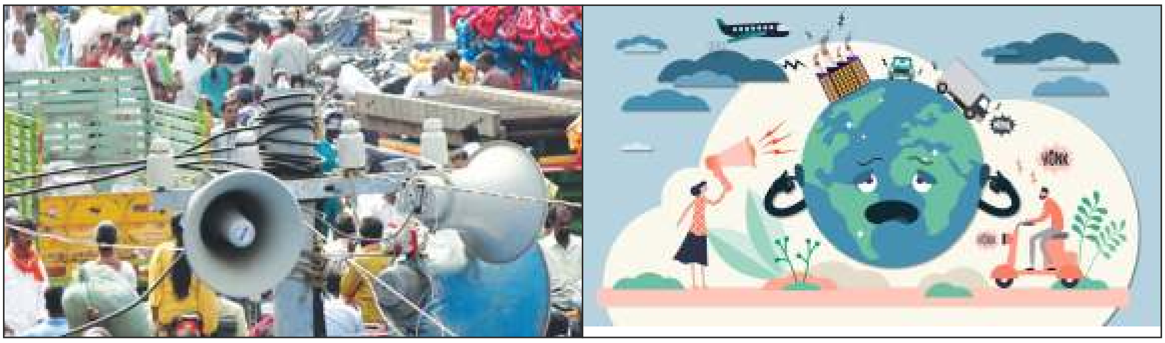

- शारीरिक प्रभावः ध्वनि प्रदूषण शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है जिसमें श्रवण शक्ति का कम हो जाना, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, रक्त संचार दोष आदि शामिल है।
- जानवरों पर प्रभावः ध्वनि प्रदूषण विभिन्न तरीकों से जानवरों को बाधित कर सकता है। इसमें भोजन, संचार और संभोग व्यवहार शामिल हैं। इससे प्रजनन सफलता कम हो जाती है और जनसंख्या में गिरावट आती है। जानवर कई उद्देश्यों के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं जिसमें साथियों को आकर्षित करना, क्षेत्रों की रक्षा करना और शिकार का पता लगाना शामिल है। यदि ध्वनि प्रदूषण संचार के इन माध्यमों में हस्तक्षेप करता है, तो इसका जानवरों की आबादी पर गंभीर परिणाम हो सकता है। व्हेल और डॉल्फ़िन जैसे समुद्री जानवर नेविगेट करने, संचार करने और शिकार का पता लगाने के लिए ध्वनि पर भरोसा करते हैं। यदि वे शिपिंग, सोनार या भूकंपीय सर्वेक्षणों के तेज़ शोर के संपर्क में आते हैं, तो उनके व्यवहार में बदलाव, तनाव, श्रवण क्षमता में कमी और कभी–कभी उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
- पर्यावरणीय प्रभावः ध्वनि प्रदूषण का पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें पौधों की वृद्धि, मिट्टी तथा पानी की गुणवत्ता में बदलाव शामिल हैं। यह वन्यजीवों के आवास और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है।
- ध्वनि प्रदूषण से मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। तेज़ आवाज़ के संपर्क में आने से मिट्टी सिकुड़ सकती है। इससे पौधों और अन्य जीवों के लिए उपलब्ध हवा और पानी की मात्रा कम हो जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी आ सकती है, जिसका समग्र रूप से पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय

- उद्योग, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे आबादी से दूर होने चाहिए।
- शोर उत्पन्न करने वाली मशीनों में ग्रीसिंग करनी चाहिए।
- ऊँचे संगीत जैसे लाउडस्पीकर पर पाबंदी होनी चाहिए।
- भवनों को सांऊड प्रूफ बनाने की तकनीक अपनाई जानी चाहिए।
- बड़े उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को ईयर प्लग पहनने की सलाह दी जानी चाहिए।
- शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, न्यायालयों, प्रयोगशालाओं आदि को शांत क्षेत्र घोषित करना चाहिए।
- शक्तिशाली पटाखे, बम आदि चलाने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

प्रकाश प्रदूषण

बिजली और काम के लिए प्रकाश की बढ़ती ज़रुरत, प्रकाश प्रदूषण का कारण बन सकती है।

जब सूरज की रोशनी तेज होती हैं, तो शहरों में इमारतों की शीशायुक्त और चमकदार ईंटों से निर्मित दीवारें, पॉलिश किए गए संगमरमर और विभिन्न प्रकार की परतदार तथा अन्य सजावटी चमकदार प्रकाश प्रतिबिंबित होते हैं। विशेषज्ञ शोध में पाया गया है कि जो लोग लंबे समय तक सफेद प्रकाश से प्रदूषित वातावरण में कार्य करते हैं, उनके रेटिना और आईरिस को अलग–अलग डिग्री की क्षति हो सकती है, नज़र कमजोर हो सकती है। यहां तक कि उन्हें 45 प्रतिशत तक मोतियाबिंद भी हो सकती है। इसके अलावा लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं और कभी–कभी तो नींद न आना, भूख न लगाना, उदासी, शारीरिक कमजोरी तथा न्यूरस्थेनिया जैसे अन्य लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं।

गर्मियों में, शीशा निर्मित दीवार से तीव्र परावर्तित प्रकाश निकटवर्ती आवासीय भवनों में प्रवेश करता है, जिससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है और सामान्य जीवन प्रभावित होता है। कुछ शीशे से बनी दीवारें अर्धवृत्ताकार होती हैं जिनमें परावर्तित प्रकाश के अभिसरण से भी आग लगने की संभावना है। तेज़ धूप में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर अप्रत्याशित रूप से शीशा निर्मित दीवार की परावर्तित रोशनी के अकस्मात संपर्क से प्रभावित हो सकते हैं, उनकी आँखें दृढ़ता से उत्तेजित होती हैं जिसके कारण कार दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती हैं।

ऑप्टिकल विशेषज्ञों के अनुसार दर्पणयुक्त बिल्डिंग सूरज की रोशनी की तुलना में प्रकाश को अधिक प्रतिबिंबित करता है, जिसकी परावर्तनशीलता 82 से 90 प्रतिशत तक होती है और इस स्थिति में संपूर्ण प्रकाश परिलक्षित होता है, जो मानव शरीर की सहन करने योग्य सीमा से कहीं अधिक है। जो लोग लंबे समय तक सफेद प्रकाश प्रदूषण वाले वातावरण में काम करते हैं और रहते हैं, उनमें आसानी से दृष्टि दोष, चक्कर आना, अनिद्रा, घबराहट, भूख में कमी, उदास मनोदशा तथा न्यूरस्थेनिया के समान अन्य लक्षण होते हैं, जिससे लोगों के सामान्य शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लंबे समय तक होते हैं।

प्रकाश प्रदूषण का कारण

प्रकाश प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं जो प्रकाश स्रोत के स्थान और उसकी चमक पर निर्भर करते हैं। प्रकाश प्रदूषण कृत्रिम रूप से प्रकाशित किसी भी स्रोत से आ सकता है, जिसमें रात में प्रकाश उत्सर्जित करने वाला कोई भी लाइट बल्ब शामिल है। इसमें एक मंजिला और बहुमंजिला इमारतों में जलती हुई लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, बिलबोर्ड और स्टोर साइन जैसे विज्ञापन संकेत, कार्यालय, कारखाने, खेल स्टेडियम आदि शामिल हैं। आवासीय घरों के बाहर लाइटें प्रकाश प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं। आतिशबाजी भी प्रकाश प्रदूषण में योगदान करती है। इसका एक अन्य कारण किसी कार्यक्रम में जरुरत से ज्यादा डेकोरेशन करना भी है।

प्रकाश प्रदूषण के प्रभाव

- आँखों के आगे अँधेरा छा जाना।
- गाड़ी चलाते समय दुर्घटना।
- सिरदर्द
- अँधापन

प्रकाश प्रदूषण को कम करने के उपाय

- एलईडी और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट (सीएफएल) बल्ब, ऊर्जा के उपयोग को कम करने तथा पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए केवल गर्म रंग के बल्बों का उपयोग किया जाना चाहिए। एलईडी प्रकाश व्यवस्था से दृश्यता से समझौता किए बिना रोशनी कम हो जाती है।

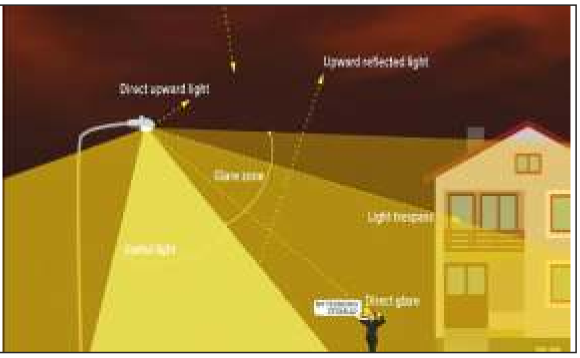

- अनावश्यक इनडोर प्रकाश व्यवस्था, विशेष रूप से रात में खाली कार्यालय भवनों में बंद कर दी जानी चाहिए। इससे रात को आकाश में आंतरिक प्रकाश के रिसाव को रोकने में मदद मिलेगी। रात के समय नीली बत्ती के प्रयोग से बचना चाहिए।

जागरूकता संबंधी भूमिका

इसका अर्थ है जनता को पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा परिणामों के संबंध में जागरूक बनाएँ ताकि वे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की बजाय ऐच्छिक रूप से पर्यावरण की रक्षा कर सकें। उदाहरण के लिए व्यवसाय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करे। आजकल कुछ व्यावसायिक इकाईयां शहरों में पार्कों के विकास तथा रखरखाव की जिम्मेदारियाँ उठा रही हैं जिससे पता चलता है कि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 के अधीन सितंबर, 1974 में किया गया था और इसे वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 के अधीन शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं।

यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए फील्ड संघटन का काम करता है तथा मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 तथा वायु प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम,1981 में निर्धारित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा न्यूनीकरण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, देश की वायु गुणवत्ता में सुधार करना तथा वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और न्यूनीकरण करना है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कार्य

- जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं इसमें कमी और जलीय स्रोतों को बनाए रखने तथा पुनरोद्धार संबंधी किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और कमी हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम संचालित करने के लिए योजना बनाकर उसका कार्यान्वयन करना।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
- जल प्रदूषण निवारण, नियंत्रण एवं कमी से संबंधित कार्य करना और जांच एवं अनुसंधान को प्रायोजित करना।
- जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी एवं सांख्यिक आंकड़ों को एकत्रित, संग्रहित एवं प्रकाशित करना।
- जल धाराओं एवं कुओं की जल गुणवत्ता हेतु मानक निर्धारित करना।
- राज्य बोर्डों की गतिविधियों में समन्वयन स्थापित करना और उनके बीच मतभेदों को सुलझाना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और कमी लाने में कार्यरत कार्मियों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाकर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मास मीडिया के माध्यम से जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कमी पर व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

- चिमनी गैस सफाई यंत्र, चिमनी एवं वाहिका सहित सीवेज, व्यापारिक बहिस्रावों के उपचार एवं निपटान हेतु मैन्यूअल, कोड्स, और दिशानिर्देश तैयार करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से संबंधित मामलों के संदर्भ में सूचना प्रसारित करना।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अन्य कार्य करना।

जल गुणवत्ता निगरानी के उद्देश्य

- प्रदूषण नियंत्रण कार्यनीतियों एवं उनकी प्राथमिकता हेतु उचित योजना बनाना।
- विभिन्न जल निकायों में प्रदूषण नियंत्रण के स्वरूप एवं सीमा का मूल्यांकन करना।
- पहले से मौजूद प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- निश्चित समयावधि में जल गुणवत्ता ट्रेंड का मूल्यांकन करना।
- प्रदूषण नियंत्रण की लागत कम करने संबंधी जल निकायों की तुलनात्मक क्षमता का मूल्यांकन करना।
- विभिन्न प्रदूषकों के पर्यावरणीय लक्ष्य को समझना।

प्रदूषण को रोकने के लिए रोजमर्रा जिन्दगी में अपनाए जाने वाले तरीकेः

क्या करें	क्या न करें
• दांतों को ब्रश करते समय नल चलाने के बजाय मग का प्रयोग करें। • बाजार में कपड़ा, जूट या पेपर बैग का उपयोग करें। • कचरे के लिए कूड़ेदान का उपयोग करें। • अपने टीवी, रेडियो और म्यूजिक सिस्टम की ध्वनि धीमी रखें। • शेविंग करते समय नल चलाने के बजाय मग का उपयोग करें। • सामान और खाद्य पदार्थों को अधिक पैक मत करें क्योंकि कंटेनर और पैकेजिंग एक चौथाई अपशिष्ट से भर जाते है।	• पौधों को पानी देते समय नल की बजाय पानी के बर्तन का उपयोग करें। • दीपावली पर ध्वनि प्रदूषण पटाखे न चलाएं। • स्नान करते समय लंबे समय तक शॉवर का उपयोग न करें • ओवर हेड टैंक से पानी न गिरने दें। • फर्श धोने के लिए चलते हुए नल का उपयोग न करें। • अपनी प्लेट में कभी भी खाना न छोड़ें। • रोशनी और पंखों का अनावश्यक उपयोग न करें।

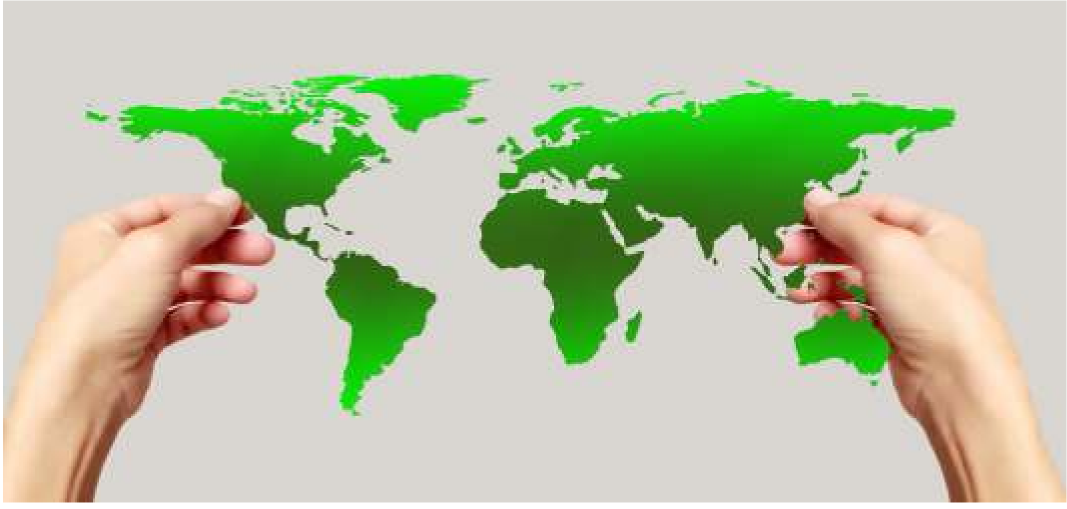

आओ बनाएं हरा–भरा संसार

ध्वनि प्रदूषण

यातायात पुलिस, वाहन चालकों द्वारा अनावश्यक हॉर्न बजाने की समस्या को रोकने में पूरी तरह विफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस के पास अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्यनीति सहित उपकरणों का भी नितांत अभाव है। पूरे देश में कर्ण भेदी भोंपू समस्या बन गए हैं। संवेदनहीनता के कारण बहुत से वाहन चालक हॉर्न का दुरुपयोग करते हैं। वाहनों के हॉर्न के लिए 112 डेसिबल तक का मौजूदा स्वीकार्य स्तर एक वास्तविक परेशानी बन गया है। वर्तमान में भेदक के रूप में काम करने के लिए हॉर्न द्वारा उत्पन्न ध्वनि के प्रकार में कोई अंतर नहीं है। सभी वाहनों के हार्न लगभग एक जैसी आवाज़ उत्पन्न करते हैं, केवल एम्बुलेंस, अग्नि शामक या पुलिस वाहनों पर लगाए गए हार्न द्वारा उत्पन्न शोर ही वाहन की किस्म बताते हैं। वाहनों की बढ़ती आबादी और चालकों के धैर्य के स्तर में कमी के कारण, ध्वनि प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कुछ माह पूर्व सुनने में आया था कि सरकार सायरन की कठोर ध्वनि को मृदु बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यदि कोई सायरन के पास खड़ा हो तो सायरन ऑन करने पर 112 डेसिबल का आक्रामक ध्वनि स्तर आपके कानों व मस्तिष्क को झिंझोड़ने के लिए पर्याप्त है।

इस मुद्दे को विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है और निम्नांकित समाधान संभव हैः

1. तीन अलग–अलग ध्वनि प्रकार विकसित किए जा सकते हैं अर्थात भारी वाहनों, दुपहिया वाहनों और अन्य के लिए।
2. ऐसा हर समय नहीं होता है कि चालक को सदैव ही दूर खड़े वाहनों या पैदल चलने वालों को वाहन के आने के बारे में सावधान करने की आवश्यकता होती है कई बार जब वाहन बम्पर से बम्पर रेंग रहे होते हैं या बहुत पास खड़े पदयात्री को सावधान करना हो तो तीव्र ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती।
3. इसलिए ध्वनि के 2 स्तर हो सकते हैंः उदाहरण के लिए, एक 70 डेसिबल पर और दूसरा उच्चतम स्वीकृत मानक स्तर पर। जब भी किसी निकटवर्ती व्यक्ति या जीव को सावधान करना हो, तो कम डेसिबल वाले हॉर्न का इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्वनि की पिच निश्चित की जाए जिससे की यह कर्ण भेदी न रहे।
4. एम्बुलेंस और अग्निशमन

केवल कोमल ध्वनि वाले स्वर यंत्र का उपयोग ही होना चाहिए। हॉर्न की ध्वनि से हमारे कानों पर अनावश्यक तनाव पड़ता है और मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। चूंकि अनावश्यक हॉर्न बजाने वालों को पकड़ कर जुर्माना लगाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसलिए सरकार के लिए एकमात्र समाधान यह है कि वह वाहन निर्माताओं को कम डेसिबल स्तर पर मृदुल ध्वनि उत्पन्न करने वाले भोंपू लगाने का निर्देश दें।

–संजीव कुमार गोयल
वित्त अधिकारी

प्रदूषण और पंचतत्व : असंतुलित संबंध

प्रदूषण, मात्र चंद अक्षरों एवं दो शब्दों (प्र+दूषण) के समन्वय से बना सामान्य सा लगने वाला ये शब्द, मानो हिंदी शब्दकोश का एक आम शब्द है। लेकिन यह शब्द जितना छोटा है उससे कई गुना बड़ा यह मुद्दा या समस्या है जिसको हम सब बखूबी जानते है, चर्चा भी खूब करते है, किन्तु शायद समझना नहीं चाहते, मानो जैसे कि प्रदूषण है तो हमारे चारों ओर, किंतु हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसकी उपज भी हम जैसे लोगो के दिमाग की ही है यानि हमारे विचारो की ही देन है। यहां शायद, यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारी प्रदूषित सोच की वजह से ही हम अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वैसे तो प्रदूषण के कई प्रकार है जिन्हें संभवतः आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, किन्तु इस संक्षिप्त लेख के माध्यम से, मैं आपके समक्ष कुछ चयनित प्रदूषणों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो संभवतः हमारे शरीर से जुड़े हुए है और जिनका हमारे जीवन या शरीर पर कुछ न कुछ सीधा प्रभाव पड़ता है।

पंच तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और आकाश) से बने इस शरीर को मुख्यतः किसी भी रूप में इन्ही प्राकृतिक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिनमें पृथ्वी, जल और वायु ऐसे घटक है जो सीधे तौर पर प्रकृति से हमें प्राप्त होते है और जिनका मानव शरीर से सीधा संबंध भी है। इन तत्वों का संबध केवल मानव शरीर से ही नहीं, अपितु किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर उपस्थित अन्य सभी जीव–जन्तुओं और प्राणियों से भी है।

शुद्ध वायु इस शरीर की सवर्प्रथम प्राकृतिक आवश्यकता है जो हमें हर क्षण श्वांस के रूप में चाहिए। वायु हमारी श्वसन प्रक्रिया को संचालित करने के साथ–साथ हमारे अंदर ऊर्जा का संचार भी करती है। मनुष्य तथा जीव–जंतुओं के स्वास्थ्य अथवा कल्याण के लिए हानिकारक वायु प्रदुषण के कारण दिन प्रतिदिन, पीढ़ी–दर–पीढ़ी हम शुद्ध वायु से वंचित हो रहे है और भविष्य में भी ऐसे ही होते जायेंगे। इसका प्रभाव केवल मनुष्यों और जीव–जंतओुं पर ही नहीं, अपितु आसमान में विचरण करने वाले पक्षियों पर भी पड़ रहा है जो इन पंछियो की प्रजाति विलुप्त होने का भी एक मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त, वायु प्रदूषण के बहुत से अन्य दुष्परिणाम भी है जैसे शारीरिक बीमारियां या जननिक विकृतियाँ, पृथ्वी के तापमान का बढ़ना इत्यादि।

शरीर की द्वितीय प्राकृतिक आवश्यकता है : शुद्ध जल। इसके महत्व को हम इसी से समझ सकते है कि सामान्यतः ये शरीर औसतन 70% पानी से बना है जो हमारे ऊर्जा स्तर को बनाए रखने, ऊर्जा प्रदान करने, और अवशोषण की प्रक्रिया में मदद करता है। किंतु जल प्रदूषण के कारण केवल हमारे शरीर पर ही घातक प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु जल में रहने वाले प्राणी भी इससे प्रभावित होते है। इनकी मृत्यु एवं जल में रहने वाली प्रजातियों का विलुप्त होना भी जल प्रदुषण का ही दुष्प्रभाव है। यहाँ तक कि वानस्पतिक प्रजातियां भी इससे प्रभावित होती हैं, पेड़ पौधों एवं फसलों पर भी सीधे तौर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है जिसमें हमारा भोजन भी शामिल है।

अब जब हम भोजन की बात कर ही रहे हैं, तो आइये समझते है हमारे शरीर की तृतीय प्राकृतिक आवश्यकता जो संभवतः भोजन ही है और हमें अगले तत्व पृथ्वी (भूमि) से प्राप्त होता है। भोजन हमारे शरीर की कई ऊर्जा संचालनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमारे शरीर को सुचारु रूप से चलाने तथा शरीर के अन्य अंगो को कार्यशील रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसमें हमारा भोजन मुख्य भूमिका निभाता है। भोजन अन्न के रूप में हमें उपजाऊ भूमि से ही प्राप्त होता है किन्तु आज भूमि (मृदा) प्रदुषण के कारण भूमि की उर्वरकता नष्ट हो रही है जिसके चलते हमारे शरीर को जो भोजन प्राप्त हो रहा है, वह

कितना विषैला एवं पोषणरहित है, इसका अनुमान हमारे पूर्वजों तथा हमारे शारीरिक व मानसिक बल, शारीरिक क्षमताएं और रोजमर्रा की बीमारियों को तुलना करके ही लगाया जा सकता है।

इस लेख में प्रदूषण के कारणों एवं निवारणों का उल्लेख इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके बारे में शायद हम सभी जानते हैं, बस इसके दुष्परिणामों को गहराई से समझते नहीं हैं।

तो अब हमें ये समझना होगा कि न जाने क्यों ये सब जानते हुए भी इन पंच तत्वों से बना यह शरीर इन्हीं पांच प्राकतिक तत्वों को प्रदूषित करने में लगा हुआ है।

विचारणीय प्रश्न यह भी है कि हम अपनी आगामी पीढ़ियों को प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, और प्रदूषित भूमि दे रहे हैं, वो भी ये जाने या समझे बिना कि आने वाली पीढ़ियों के शरीर और जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

क्या यह संभव नहीं कि जितना हो सके, हम इनके संरक्षण के लिए कृत्रिम संसाधनों, दूषक पदार्थों या विषैले रसायनों आदि की अपेक्षा जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग करें।

–मोहित कुमार वत्स
सोफ्टवेयर डेवलपर

मैं हिंदी हूँ

मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ,
प्रेम और विश्वास परस्पर,
हर विश्वास की वो संधि हूँ।
मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ।।

मुझसे ही तेरा गौरव, भावनाओं का उद्घाटन,
मैं तेरे ह्रदय की भाषा, मुझसे तेरा जीवन रोशन,
मैं अहिवातिन के श्रृंगार की, माथे की जैसे बिंदी हूँ।।

मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ।।

मेरी जननी है मां संस्कृत, मैं ही हूँ देवों की भाशा,
सुर है गाते गीत मुझी में, अब तुम्हारी हूँ मैं आशा,
मैं समृद्धि और सौभाग्य की आत्मा में ज़िन्दी हूँ।

मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ।।

मां की लोरी और ममता हूँ, बाबा के डर में भी मैं ही,
मैं ही शिक्षक की शिक्षा और नेताओं की मैं जनता हूँ।
मुझको अपना तुम समझ लो, जाते–जाते ये विनती हूँ।।

मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ।।

मैं बनी हूँ राज की भाषा, किंतु मेरा राज नहीं है,
मुझको बनना काज की भाषा,
और बनू मैं साज की भाषा,
मैं ही हिंदु और मुसलमां, सिक्ख,
ईसाई और सिंधी हूँ।।

मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ।।

–सचिन बालोनी
परियोजना सहायक

चंद्रयान – 3

सपेरों के देश ने अंतरिक्ष में शंखनाद कर दिया है,
बच्चों के मामा को संदेश भेज दिया है,
तीसरी कोशिश में ही सही, अपना प्यार पहुंचा दिया है,
मामा ने भी यहाँ जीवन होने का वरदान भेज दिया है।

भारत के दो बेटों ने देश का मान बढ़ाया है,
विक्रम संग प्रज्ञान ने चाँद पर तिरंगा लहराया है,
देश के वैज्ञानिकों का अभिमान बढ़ाया है,
पूरी दुनिया को वसुधेव कुटुंभकम का पाठ पढ़ाया है।

चाँद की धरती को भारत ने गले लगा लिया,
पृथ्वी का चाँद से संपर्क बना दिया,
अंतरिक्ष की अनेक संभावनाओं का मार्ग खोल दिया,
वेदों के ज्ञान का डंका बजा दिया।

अब आदित्य भी सूर्य के चरण स्पर्श
करने निकल गया है,
इधर भारत गगन यान की तैयारी मे जुट गया है,
उधर शुक्र ने भी निमंत्रण भेज दिया है,
ऊपर से परमात्मा ने भी आशीष भेज दिया है।

–धर्मेन्दर गुप्ता
तकनीकी सहायक

खाली मुट्ठी

तीन पहर तो बीत गये
बस एक पहर ही बाकी है।
जीवन हाथों से फिसल गया,
बस खाली मुट्ठी बाकी है।

सब कुछ पाया जीवन में,
फिर भी इच्छाएं बाकी हैं
दुनिया से हमने क्या पाया,
यह लेखा जोखा बहुत हुआ,
इस जग ने हमसे क्या पाया,
बस ये गणनाएं बाकी हैं।

इस भाग–दौड़ की दुनिया में
हमको इक पल का होश नहीं,
वैसे तो जीवन सुखमय है,
पर फिर भी क्यों संतोष नही।

क्या यूं ही जीवन बीतेगा,
क्या यूं ही सांसें बंद होंगी
औरों की पीड़ा देख समझ
कब अपनी आंखें नम होंगी।
मन के अंतर में कहीं छिपे,
इस प्रश्न का उत्तर बाकी है।

मेरी खुशियां, मेरे सपने,
मेरे बच्चे, मेरे अपने।
यह करते–करते शाम हुई,
इससे पहले तम छा जाए।
इससे पहले कि शाम ढले,

कुछ दूर परायी बस्ती में
इक दीप जलाना बाकी है।
तीन पहर तो बीत गये,
बस एक पहर ही बाकी है।
जीवन हाथों से फिसल गया,
बस खाली मुट्ठी बाकी है।

–राकेश कुमार यादव
प्रशासनिक अधिकारी

जाम–ए–इश्क

चलो जाम–ए–इश्क पिलाकर तो देखो
दिल से दिल मिलाकर तो देखो।
खड़ी हैं नफरतों की ऊँची दीवारें
चलो इन्हें गिराकर तो देखो।

ग़मजदा इंसा है यहां पर बहुत
चलो उनको फिर से हंसा कर तो देखो।
ज़मी पर खींची है जो लकीरें हमने
चलो इन्हें मिटाकर तो देखो।

जुदा हो गए जो गैर होकर हमसे
चलो उनको अपना बनाकर तो देखो।
जो रुठे हैं बरसों से, यहां पर
चलो उनको फिर से मनाकर तो देखो।

खुदा की नैमत है, मोहब्बत इस जहान में
चलो खूब इसे लुटाकर तो देखो।
नशा इश्क में है तो पीकर देखो
चलो जाम–ए–इश्क लड़ा कर तो देखो।

बिछाए हैं काँटे जिस राह पर हमने
चलो आज उनको हटाकर तो देखो।
दरख्तों को काट सूना किया है जंगल
चलो आज पौधे लगाकर तो देखो।।

देखा है तेरी सोहबत में हमेशा अहंकार
चलो आज इसको मिटाकर तो देखो।
सभी के दिलों में गर बसता जो रब है
चलो इश्क में सर झुका कर तो देखो।

–महाराम तंवर
सलाहकार (राजभाषा)

हे भारत के राम जगो

हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ,
सौ धर्मों का धर्म एक, बलिदान बताने आया हूँ ।
सुनो हिमालय क़ैद हुआ है, दुश्मन की जंजीरों में
आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरो में,
खड़ी शत्रु फौज द्वार पर, आज तुम्हें ललकार रही,
सोये सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही।

रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो,
पहला शीष चढाने वाले, माँ के वीर पुत्र जागो।
बलिदानों के वज्रदंड पर, देशभक्त की ध्वजा जगे,
रण के कंकण पहने हैं, वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे।।

अग्नि पंथ के पंथी जागो, शीष हथेली पर धरकर,
जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर,
खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बर्बंडा
रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा।

नर मुंडो की माला वाला, जगे कपाली कैलाशी,
रण की चंडी घर–घर नाचे, मौत कहे प्यासी–प्यासी,
रावण का वध स्वयं करूँगा, कहने वाला राम जगे,
कौरव शेष न एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे।।

परशुराम का परशु जगे, रघुनन्दन का बाण जगे,
यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे,
चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष का पुरष महान जगे
सेल्यूकस को कसने वाला, चन्द्रगुप्त बलवान जगे।

हठी हमीर जगे जिसने, झुकना कभी नहीं जाना,
जगे पदमिनी का जौहर, जगे केसरिया बाना,
देशभक्ति का जीवित झण्डा, आजादी का दीवाना,
वह प्रताप का सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा।

दक्खिन वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा,
मरने की हठ ठाना करते, विकट मराठों के राजा,
छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे,
दो दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे।

कनवाहे का जगे मोर्चा, जगे झाँसी की रानी,
अहमदशाह जगे लखनऊ का, जगे कुंवर सिंह बलिदानी,
कलवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे,
जगे भगत सिंह की फांसी, राजगुरु के प्राण जगे।

जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गयी,
हिटलर को जीता वे फौजें, सात समुन्दर पार गयी,
मानवता का प्राण जगे, और भारत का अभिमान जगे,
उस लकुटि और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे।

आजादी की दुल्हन को जो, सबसे पहले चूम गया,
स्वयं कफ़न की गाँठ बाँधकर सातों भांवर घूम गया,
उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे,
ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे।

क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे....
अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे
वह बर्बर था वह अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया,
हमने उनको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया।

आज बँधा है कफ़न शीष पर, जिसको आना है आ जाओ
चाओ–माओ चीनी–मीनी, जिसमें दम हो टकराओ
जिसके रण से बनता है, रण का केसरिया बाना,
ओ कश्मीर हड़पने वाले, कान खोल सुनते जाना।

भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है
कोहिनूर की कीमत जूते पांच अजर अमर हैं
रण के खेतो में जब छायेगा, अमर मृत्यु का सन्नाटा,
लाशो की जब रोटी होंगी, और बारूदों का आटा,

सन सन करते वीर चलेंगे, जो बामी से फन वाला,
फिर चाहे रावलपिंडी वाले हो, या हो पेकिंग वाला।
जो हमसे टकराएगा, वो चूर चूर हो जायेगा,
इस मिटटी को छूने वाला, मिटटी में मिल जायेगा।
मैं घर–घर में इन्कलाब की, आग लगाने आया हूँ,
हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हे जगाने आया हूँ।।

– अभिनेता आशुतोष राणा

तुम चलो तो सही

राह में मुश्किलें होगी हजार,
तुम दो कदम बढाओ तो सही,
हो जाएगा हर सपना साकार,
तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।

मुश्किलें है पर इतना भी नहीं,
कि तू कर ना सके,
दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं,
किंतु पा ना सके,
तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।

एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा,
तुम्हारा भी सत्कार होगा,
तुम कुछ लिखो तो सही,
तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही,
तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।

सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे,
तुम एक राह चुनो तो सही,
तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही,
तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।

कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे,
जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे,
गिरते पड़ते संभल जाओगे,
फिर एक बार तुम जीत जाओगे।
तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।

—कविवर नरेन्द्र वर्मा

पुरुषार्थ

कहा जाता है कि कोई भी चोर अपने आपको कितना भी चतुर क्यों न समझे, एक न एक दिन वह पकड़ा ही जाता है। एक व्यक्ति को चोरी करने की घृणित आदत पड़ गई। एक दिन रात के अंधेरे में वह राजकोष से कुछ गहने चुराकर भागने लगा तो पहरेदारों को संदेह हुआ कि राजकोष से कोई चोर चोरी करके भाग गया है। उन्होंने सिपाहियों को तुरंत सूचित कर चोर को पकड़ने के लिए कहा। सिपाही उसकी खोज में निकल गए। घोड़ों की टपटप की आवाज सुनकर चोर डर के मारे कांपने लगा। सिपाहियों की नजरों से बचने के लिए उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में उसकी नजर गांव के एक मंदिर पर पड़ी और उसमें प्रवेश कर गया। मंदिर में अपने प्राण बचाने के लिए उसने देवी मां से करुणामयी स्वर में चोरों से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। चोर के कातर एवं विनम्र शब्दों को सुनकर देवी मां का कोमल हृदय द्रवित हो गया। देवी मां ने कहा, तुम घबराओ नहीं, राजपुरुषों का दृढ़ता से सामना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं।

सामना करने की बात सुनकर चोर का शरीर कांपने लगा। वह बोला– मां, यदि मुझमें सामना करने का सामर्थ्य होता तो मैं तुम्हारी शरण में क्यों आता। अतः अब मेरी रक्षा करना आपके ही हाथ में है। यह सुनकर देवी ने कहा, यदि तुम सामना करने में असमर्थ हो तो ऐसा करो कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाओ। ऐसा करने से सिपाही लौट जाएंगे।

तब चोर ने कहा. मां, भय के करण मेरा गला रुँध गया है और मेरी वाकशक्ति भी समाप्त हो गई है तो मैं चिल्लाऊं कैसे? तब देवी ने कहा, तुम मंदिर का द्वार बंद करके निश्चित होकर सो जाओ। द्वार बंद देखकर सिपाही लौट जाएंगे। घबराते हुए चोर बोला, मां मेरे हाथ कांप रहे हैं, जिसके कारण मेरे भीतर की शक्ति समाप्त हो गई है। अतः द्वार बंद करूं तो कैसे?

देवी का रूप जगदंबा का होता है। उसके हृदय में करुणा की सरिता बह रही थी। इसलिए वह चोर को बचाना चाह रही थीं। अतः इस बार देवी ने कहा, तुम मेरी प्रतिमा के पीछे बैठ जाओ। फिर कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा।

यह सुनकर चोर ने कहा, मां तुम सच कह रही हो, लेकिन मेरे पैर धरती से चिपक गए हैं। अतः एक कदम भी चलना मेरे वश की बात नहीं है। इस भयभीत अवस्था में, मैं कुछ भी कर सकने में अक्षम हूं।

इतना सुनते ही देवी रुष्ट हो गईं और कहने लगीं, 'तुम जैसे कायर और अकर्मण्य पुरुष की मैं सहायता नहीं कर सकती। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा।' कुछ देर बाद सिपाही उसे ढूंढते हुए मंदिर में प्रवेश कर गए और चोर को पकड़ कर राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने उसे कालकोठरी में डालने की सजा सुनाई।

सीख
चींटी यह कहकर अपनी चाल नहीं रोकती कि मैं हाथी की बराबरी नहीं कर सकती। पुरुषार्थ करती हुई वह पहाड़ पर चढ़ जाती है। पुरुषार्थ से ही उत्थान का मार्ग खुलता है। पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं होता है। भगवान श्री राम ने मर्यादा में रहकर पुरुषार्थ किया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।

जीवन का मूल मंत्र है ''रुको मत, चलते रहो। बुझो मत, जलते रहो।'

–महाराम तंवर
सलाहकार (राजभाषा)

नसीब

यह कहानी 15वीं सदी की है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गावों मैं बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी। पंडित का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। वह अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था क्योंकि उसका कोई बेटा था नहीं और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव के श्रीमंत लड़के से हो चुका था।

पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था, तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालो में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था।

अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा।

पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धनधान्य दिया है उसका क्या करेंगे, हमें कोई और औलाद भी तो है नहीं, ले देकर एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे\

पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था की वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था।

एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित और उसकी पत्नी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे।

लेकिन मां तो मां होती है। पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाजत के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रखकर बेटी और दामाद को दे दिए ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया।

जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोच कर पंडिताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी।

दामाद और बेटी दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बेल गाड़ियां चलती थी। पैसे न होते, तो अन्य चीजों की लेनदेन से व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया।

पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं। इसलिए पंडिताईन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हे दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए।

टांगेवाला बूंदी के लड्डू लेकर वहां से चला गया। टांगेवाला अपने घर की तरफ जा रहा था तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरनेवाला है! इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूं। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए।

जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगेवाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए क्योंकि वह नहीं जानता था यह लड्डू कब बने हैं।

पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए माफी मांगी।

पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूं। लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई।

दो–तीन महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी ।

सच ही तो है – नसीब का लिखा नहीं बदलता।

स्रोत: https://www.hindi-kahaniya.in

गुरु की सीख

किसी आश्रम में एक सिद्ध गुरु अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ रहते थे। उन्ही में से उनके कुछ पुराने शिष्य वहीं शिक्षक भी थे। उनका एक छात्र शिष्य कर्मदास बहुत अधिक बोलता था। हमेशा स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता और दूसरों की बात काट उन्हें नीचा दिखाता था। शांत एकाग्रचित होकर आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के बजाए, स्वयं को ज्ञानी दिखाने का दंभ भरता था और दिन भर इधर–उधर की बातें करता।

भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक छात्र से दूसरे की बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। स्वयं को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य सिद्ध करने का प्रयास करता। यहाँ तक कि वह स्वयं को सभी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका मानना था कि वह त्यागी है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। वह ऐसा मानता क्योंकि वह अमीर घर से था। फिर भी, आरामदायक और सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन छोड़ कर सत्य की खोज में निकल पड़ा था। पर कहते हैं, किसी मे कितनी भी बुराई हो, कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। कर्मदास में भी मेहनत करने की क्षमता थी। वह प्रखर बुद्धि था किंतु अपनी क्षमताओं का उपयोग करना नही जानता था।

महीने भर का संकल्प और गुरु की सीख

एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा, ''आप सभी को अगले एक माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में अद्‌भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं। एक माह से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाए, वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएं।'' सभी ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने–अपने संकल्प के बारे में बता कर वहां से चले गए। लेकिन कर्मदास को यह बात अच्छी नहीं लगी।

उसका मानना था कि संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को क्यों मिला, विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए था। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, ''तो ठीक है, जिन विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है, वे भी एक महीने के लिए संकल्प ले सकते हैं।'' कर्मदास स्वयं को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। उसने गुरु देव से कहा, 'हे गुरुदेव! आप ही बताइए, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए।' गुरुदेव ने कहा, ''मेरे पास एक सुझाव है, तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ और उनसे पूछो कि तुम्हे क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता, तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन मे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए।''

कर्मदास का संकल्प और गुरु की सीख

गुरु की बात सुन कर वह अपने शिक्षकों और मित्रों से मिलकर वापस गुरु के पास आया। और बोला, 'गुरुदेव! यहां कोई मेरा भला चाहता ही नहीं, ये लोग कहते हैं कि मौन रहने का संकल्प ले लो।' गुरु ने पूछा सबने यही कहा है। तब कर्मदास ने कहा, 'जी! लगभग सबने यही कहा।' गुरु ने पूछा, पुत्र कर्मदास! क्या तुम यह कर पाओगे?

कर्मदास ने कहा, 'जी गुरुदेव! इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं आराम से कर लूंगा। मैं इसी का संकल्प ले लेता हूं। अब मैं आने वाले एक महीने तक मौन रहूँगा।' गुरूदेव ने उसे संकल्प पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया और अपनी कुटिया की ओर चले गए। बाकी किसी छात्र ने संकल्प नहीं लिया। कर्मदास

प्रफुल्लित हुआ जा रहा था कि अरे वाह! शिक्षकों के साथ केवल मैंने संकल्प लिया है। बाकी विद्यार्थियों से तो श्रेष्ठ हूँ मैं। मेरा संकल्प तो पूरा भी हो जाएगा। देखते हैं कौन–कौन से शिक्षक पूरा कर पाते हैं। यह सोचता हुआ वह भी विद्यार्थियों की कुटिया की ओर चला गया।

पहले तो उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। फिर उसने एक दिन जैसे–तैसे चुप रह कर काट लिया। लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था। उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था। लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। उसका सर फटा जा रहा था, खाने–पीने का मन नहीं कर रहा था, बस बोलना चाहता था।

अपनी परेशानी का हल ढूंढने वह गुरु के पास पहुँचा और बताया कि, ‘गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं क्या करूं, क्या मैं संकल्प तोड़ दूँ? गुरु मुस्कुरा कर बोले, ‘‘संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। तो तुम तोड़ सकते हो। परंतु जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। बाकी संकल्प तुम्हारा है, उसे रखना या तोड़ना तुम्हारे हाथ में है।’’

संकल्प टूटने का डर और गुरु का मार्गदर्शन

काफी विचार करने के बाद कर्मदास ने अपने गुरु से कहा, ‘मैं संकल्प तो नहीं तोड़ना चाहता, पर मैं इसे पूर्ण करूँगा। गुरुदेव को प्रणाम कर कर्मदास अपनी कुटिया में चला गया। अब उसने बिना ज़रूरत अपनी कुटिया से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। उसके सहपाठी और शिक्षक भी हैरान थे कि कर्मदास का संकल्प इतना लम्बा कैसे चल रहा है। अब कर्मदास बाहर तो जबाब नहीं देता, पर अब जितना ज्यादा मौन रहता उतना ही पुरानी बातें और यादें तीव्र वेग से उसके अंदर प्रकट हो रही थीं। अब वह मौन और ज्यादा मुखर हो रहा था। कर्मदास ज्यादा बेचैन होने लगा था। उसने पुनः अपने गुरु से इसका हल जानना चाहा। पुनः अपने गुरु से लिख कर पूछा, ‘मैं बाहर से जितना मौन हूं, अंदर में उतना ही शोर है। क्या इसके बाद भी मेरा संकल्प जारी है या मेरा संकल्प टूट चुका है?’

गुरु ने उत्तर दिया, ‘‘तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम्हें इससे बाहर आने के लिए इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। गुरु की ये सीख लेकर उन्हें प्रणाम कर कर्मदास कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा जब मेरा संकल्प का समय पूरा हो जाएगा तभी लौट कर आऊंगा। परंतु जब वह जंगल गया तब उसने जाना कि वह अंदर से अशांत था, इसीलिए बाहर से इतना शोर मचाता था।

कर्मदास का वापस न लौटना

एक महीना बीतने के बाद वह लौटकर आश्रम नहीं आया। तब उसके मित्रगण और शिक्षकों ने गुरुदेव से बात करने का मन बनाया और उनसे जाकर कहा, ‘हे गुरुदेव! एक महीने से ज्यादा हो चुका है, परंतु कर्मदास अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए,क्या पता किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो या उसकी तबीयत खराब हो। क्या पता वह रास्ता भटक गया हो। हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो क्या हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए।’

गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, ‘‘तुम सब भी तो यही चाहते थे कि वह चुप हो जाए। यह संकल्प तो तुम ही लोगों ने उसे सुझाया था। फिर अब तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो’’ सब शर्मिंदा थे और उसी भाव से एक शिक्षक ने कहा, ‘गुरुदेव, हमें क्या पता था कि हमारा यह सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतना

हानिकारक हो जाएगा और वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा, फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा।' गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला, ''चिंता मत करो, वह आ जाएगा।''

कर्मदास का वापस लौटना

कुछ समय बाद एक दिन कर्मदास आश्रम आया। उसके मित्रों ने उसे घेर लिया और उससे बातें करने लगे। यह क्या कर्मदास तो सबसे घुलमिल कर प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था। न किसी का उपहास, न किसी से आगे निकलने की होड़, न किसी से बड़ा बनने की चाहत। उसे देख कर लग रहा था मानो वह बदल सा गया हो। अपने मित्रों से बात करके वह अपने शिक्षकगण के पास गया और चरणस्पर्श कर उनके हालचाल पूछे। फिर उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर अपने गुरुदेव से मिलने चला गया।

गुरुदेव से मिलना

गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा, 'हे गुरुदेव! मैं जंगल से वापस आ चुका हूं और मुझे आपसे अपने संकल्प के बारे में बात करनी है।' गुरुदेव ने कहा, ''ठीक है! परंतु अभी मेरा विश्राम करने का समय हो रहा है, विश्राम के बाद में तुमसे बात करता हूं।'' यह कहकर गुरुदेव अपनी कुटिया में चले गए। कर्मदास भी विद्यार्थियों की कुटिया की तरफ चला गया।

यह सब देख रहे एक शिक्षक ने गुरु से पूछा, 'हे गुरुदेव, अपराध क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने कर्मदास से बात क्यों नहीं की? वह इतने महीनों बाद आया है, हमें उसकी इतनी चिंता थी। वह आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता था। फिर आपने उसकी बात टाल क्यों दी। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा ''यही तो उसकी परीक्षा है। क्या वह सच में मुझसे मिलने के लिए शांत रह पाएगा या फिर मेरे मना कर देने से उसके अंदर की अशांति फिर से जाग जाएगी। देखते हैं।'' यह बोलकर गुरु विश्राम करने लगे।

गुरु से वार्तालाप और गुरु की सीख

कुछ समय पश्चात जब गुरुदेव विश्राम करके जागे, तब उन्होंने कर्मदास को बुलाया और पूछा, बताओ पुत्र! तुम क्या बताना चाहते थे? कर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, 'गुरुदेव! मुझे तो नहीं पता कि मेरा संकल्प पूरा हुआ या नहीं। इसी बारे में आपसे चर्चा करना चाहता था। जब मैं यहां से जंगल गया, तब मेरे बाहर तो बहुत ही शांति हो गई, परंतु मेरे अंदर का शोर बढ़ता गया। जिससे मैं बहुत परेशान होने लगा और फिर मैं जोर–जोर से चिल्लाने लगा, परंतु शोर कम नहीं हुआ।'

शोर सुनना

कुछ समय बाद जब मैंने उस शोर को सुनना शुरू किया तब जाना कि जो शोर मैं बाहर मचाता था, वह शोर मेरे अंदर रहता था। मेरे अंदर की कमियां, अज्ञानता और इनकी वजह से पनपी असुरक्षा की भावनाओं ने मुझे अशांत कर दिया था। मैं अपनी कमियों को सुधारने और अपने ज्ञानवर्धन करने के बजाए उसे दबाता था और अपनी मौखिक शक्ति से जीतना चाहता था।

बातों के बल पर मैं सारी चीजें जीतना चाहता था। यही मेरी गलती थी। जब मैंने अपने अंदर के शोर को समझना शुरू किया और उसे शांत करना शुरू किया, तब मैं समझ पाया कि ना मुझे मौन रहने की आवश्यकता है और ना ही मुझे वाचाल रहने की आवश्यकता है। मुझे केवल सम्यक रहने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए अन्यथा चुप रहना चाहिए।

अब आप मुझे बताएं कि क्या मेरा संकल्प टूट गया या पूर्ण हुआ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र! यदि तुम एक महीने तक बिना कुछ बोले चुप रहते और मुझसे कोई प्रश्न भी ना करते और अपनी यात्रा में आगे भी ना

बढ़ते, तब भी तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाता। परंतु उस संकल्प के पीछे की योजना सिद्ध नहीं हो पाती। तुमने जंगल जाकर अपने लिए मार्ग भी स्वयं बनाया और उससे स्वयं सिद्ध किया। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो गया और उसके पीछे की योजना भी सिद्ध हो गई। कर्मदास यह सुन कर आनंद से भर गया। उसके चेहरे की मंद मुस्कान सब व्यक्त कर रही थी।

गुरु द्वारा गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों से वार्ता

फिर गुरु ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस आश्रम के सभी लोगों से बात करूं, उन सब को बुला लाओ। कर्मदास जाकर सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लाया। उन सब ने गुरु को चरणस्पर्श प्रणाम किया और गुरु को सुनने करबद्ध हो खड़े हो गए। गुरु ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यो! मैंने आप सभी को संकल्प वाले प्रकरण से जुड़े कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए बुलाया है।

पहला, यदि आपके सामने कोई क्रोधित होता है या आप को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपका कर्म है कि आप उसे शांत करवाएं या शांति की राह दिखाएं, न कि उसकी कमियां निकालकर उसे और दुखी या अशांत करें।

दूसरी बात, यदि आप अशांत हैं, तो मदद मांगिए और अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, न कि मौखिक शक्ति से उसे हराने का प्रयास करें।

तीसरी बात, किसी से परेशान होकर कोई ऐसा हल न निकालें जो किसी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि, बाद में इस पर आप ही को पछताना पड़ेगा।

चौथी बात, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, मौखिक शक्ति का सहारा ना लें, अपितु उन्हें सुधारें क्योंकि वही आपकी शक्ति है। सभी को अपनी–अपनी गलती समझ आयी और सभी ने स्वयं में सुधार करने की स्वेच्छा बताई।

कहानी की सीख

इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद की कमियों से मन अशांत होता है, जिससे हम गलत राह पर चलने लगते हैं। अंहकार की तृप्ति या स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए ज्यादा बोलना, बहस करना, रिश्तों को खराब करता है और आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। हमें यथा आवश्यक कम बोलना चाहिए और स्वयं में सुधार कर मन शांत रखना चाहिए।

स्रोतः https://kahanivala.com/guru-ki-seekh-motivational-story-in-hindi/

घमंड कभी न करने का ज्ञान

यह बात उस समय की है तब स्वामी विवेकानंद लोकप्रिय शिकागो सम्मेलन के भाषण के बाद भारत लौट रहे थे। उनकी चर्चा विश्व के प्रत्येक देश में हो रही थी। सभी लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत आकर अपने स्वभाव के अनुरुप भ्रमण कर रहे थे। यह उस समय की बात है जब वह हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वे घूमते–घूमते एक नदी के किनारे आ गए। उनको नदी पार करनी थी। उन्होंने देखा कि वहां एक नाव है पर वह किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। एक साधू वहां से गुजर रहा था। साधू ने स्वामी जी के पास जाकर पूछा कि तुम यहां क्यों बैठे हुए हो?

स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं यहां नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधू ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधू ने स्वामी जी का मज़ाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा! तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसे लगता है कि विदेश में जाकर भाषण देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधू बन सकते हो।

स्वामी जी ने साधू को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधू ने बहुत घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधू ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चल कर इस नदी को पार कर सकते हो?

स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधू से कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके पास बहुत ही अद्‌भुत शक्ति है। लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधू ने बहुत ही अभिमान के साथ साधू ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने बीस सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधू का यह बताने का अंदाज बहुत ही अंहकार भरा था।

यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के बीस साल ऐसी विद्या सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव पांच मिनट में कर सकती है। आप बीस साल निर्धन, बेसहारा, गरीबों की सेवा में लगा सकते थे। परंतु आपने अपने बीस साल सिर्फ पांच मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है।

साधू सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए।

–हरपाल सिंह बावा
वरिष्ठ सहायक

राजभाषा अवलोकन

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो भावनात्मक एकता स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो तथा अंतर्राज्य और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अंग्रेजी का स्थान ले सके। इस दृष्टि से हिंदी भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त समझकर इसे भारतीय संविधान में ''राजभाषा ''के पद पर सुशोभित किया गया। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हिंदी के अतिरिक्त कोई अन्य भारतीय भाषा इसका स्थान नहीं ले सकती।

श्रीगोपाल स्वामी अयंगर द्वारा संविधान सभा में ''हिंदी'' को ''राजभाषा'' बनाने संबंधित प्रस्ताव रखा गया। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा में प्रबल बहुमत से हिंदी को केन्द्र सरकार की ''राजभाषा'' के रुप में मान्यता प्रदान की। सरकारी कामकाज में राजभाषा के रुप में हिंदी के प्रति जागरुकता, इसके प्रगामी प्रयोग में गति लाने और हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से 14 सितंबर को हिंदी सप्ताह मनाया जाता है जिसमें राजभाषा प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

राजभाषा के प्रयोग–प्रसार के संबंध में भारत के संविधान में अलग–अलग उपबंध है :–

अनुच्छेद 343(1) में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अंको का रूप भारतीय अंको का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 343(2) में यह व्यवस्था है कि संविधान लागू होने से 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक उन शासकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिये संविधान लागू होने से पहले किया जा रहा था।

परन्तु राष्ट्रपति इस अवधि में भी अर्थात 1965 से पहले भी आदेश जारी कर किसी कार्य के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। (संदर्भः राष्ट्रपति आदेश 1952, 1955 एवं 1960)

अनुच्छेद 344 (1) में यह व्यवस्था है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो अन्य बातों के साथ–साथ संघ के शासकीय प्रायोजनों के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग तथा सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सिफारिश करेगा। इस आयोग की स्थापना 1955 में की गई।

अनुच्छेद 344 (4) में यह व्यवस्था है कि संसदीय समिति गठित की जाएगी जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यह समिति संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करेगी और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस समिति का गठन 1956 में किया गया।

अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधान मंडल राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को अपने सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा।

अनुच्छेद 348 (1) में यह व्यवस्था है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी किन्तु इस अनुच्छेद के खन्ड (2) में यह व्यवस्था है कि राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने राज्य मे स्थित उच्चतम न्यायालय में हिंदी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

अनुच्छेद 351 में व्यवस्था है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे और उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। गृह मंत्रालय इसके लिये प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें विभिन्न मदों में हिंदी प्रयोग के लक्ष्य निर्धारित किए जाते है।

1968 में संसद द्वारा एक संकल्प तैयार किया गया जिसके अनुसार हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाता है तथा प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाती है।

अनुच्छेद 120(1) के अनुसार संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाए। परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी ऐसे सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 120(7) में राज्य के विधान मंडल अपना कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में कर सकते हैं।

राष्ट्रपति का आदेश 1952 राष्ट्रपति ने अपने 27 मई, 1952 के आदेश द्वारा राज्यो के राज्यपालों, उच्चत्तम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया है।

राष्ट्रपति के आदेश 1955 में राष्ट्रपति ने यह आदेश किया कि संघ के निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

1. जनता के साथ पत्र–व्यवहार।
2. प्रशासनिक रिपोर्ट, राजकीय पत्रिकाएं और संसद को दी जाने वाली रिपोर्टं।
3. सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियम।
4. जिन राज्य सरकारों ने अपनी राजभाषा के रूप में हिंदी को अपना लिया है उनसे पत्र–व्यवहार।
5. संविदा और करार।
6. अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पत्र–व्यवहार।
7. राजनयिक और कॉउंसलिंग पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।

राष्ट्रपति आदेश 1960 :– 27 अप्रेल, 1960 को राष्ट्रपति ने संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार कर निम्नलिखित महत्वपूर्ण आदेश दिए :–

1. विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास हेतु स्थायी आयोग की स्थापना।
2. अनुवाद में एकरूपता लाने के लिए अधिकरण की स्थापना।
3. विधि शब्दावली तैयार करने के लिए स्थायी आयोग की स्थापना।
4. हिंदी, हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
5. हिंदी के प्रचार के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के लिए वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता।
6. हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के विभाग / कार्यालय हिंदी का प्रयोग करें।
7. शिक्षा संबंधी कुछ या सभी आयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग शुरु करने के लिए कदम उठाए जाएं।
8. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग।
9. वैज्ञानिक, औद्योगिक और सांख्यिकीय प्रयोजनों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग।
10. हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए योजना।

राजभाषा नियम 1976

केंद्र सरकार ने 20 जून, 1976 को राजभाषा नियम, 1976 बनाया जिसे वर्ष 1987 में संशोधित किया गया। इस नियम के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

नियम 3(1): केंद्र सरकार के कार्यालय से पत्रादि हिंदी भाषी राज्यों (जिन्हें 'क' क्षेत्र के राज्य कहा गया है) या ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यालय या अन्य व्यक्ति को हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी विशेष स्थिति में इन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है, तो उसका हिंदी अनुवाद साथ में भेजा जायेगा।

नियम 3(8): (क) केंद्र सरकार के कार्यालयों से पत्रादि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों तथा चंडीगढ़ को ('ख' क्षेत्र) सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा।

(ख) लेकिन इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी, दोनो में से किसी भाषा में भेजे जा सकते है।

नियम 3(4): (ग) राज्यों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'क' अथवा 'ख' क्षेत्र की सरकारों, उनके कार्यालयों आदि को पत्रादि हिंदी अथवा अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

नियम 4: (क) केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग से दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है।

नियम 4: (ख) केंद्र सरकार मंत्रालय/विभाग 'क' क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी में ऐसे अनुपात में होगा जिसे सरकार निर्धारित करेगी।

नियम 4: (ग) 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी में होगा।

नियम 5: हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर – केंद्र सरकार के कार्यालयों से प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगें। इसका उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए।

नियम 6: राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनो ही भाषाएं प्रयोग में लाई जाएगी जिसके अनुपालन की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

नियम 7(2): हिंदी या हिंदी में हस्ताक्षर किए आवेदन या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में दिए जाएगा।

नियम 7(3): यदि कोई कर्मचारी सेवा संबंधी विषयों से संबंधित आदेश या सूचना यथास्थिति हिंदी या अंग्रेजी में चाहता हो तो उसे उसी भाषा में दी जायेगी। केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नही की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

नियम 8(2): कोई विशिष्ट दस्तावेज, विधिक या तकनीकी प्रकृति का है अथवा नहीं, इसका निश्चय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा।

नियम 8(4): अधिसूचित कार्यालयों के प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को हिंदी में शत–प्रतिशत कार्य करने हेतु व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाते हैं।

नियम 9: हिंदी में प्रवीणता – यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है अथवा

स्नातक परीक्षा या समतुल्य परीक्षा या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, अथवा

वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

नियम 10: हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान – यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है या उसने हिंदी शिक्षण योजना के अंधीन प्राज्ञ या अन्य निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा

वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

नियम 10(4): जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन कार्यालयों को अधिसूचित किया जा सकता है।

नियम 11(1): केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी नियमावली, संहिताएं, लेखन सामग्री की अन्य मदें, रजिस्टरों के प्रारूप तथा शीर्षक, नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष आदि हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी तैयार किए जाएंगे।

नियम 12: प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है।

भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल भाषाएं:

1	असमिया	12	मलयालम
2	उड़िया	13	संस्कृत
3	उर्दू	14	सिंधी
4	कन्नड़	15	हिंदी
5	कश्मीरी	16	मणिपुरी
6	गुजराती	17	नेपाली
7	तमिल	18	कोंकणी
8	तेलुगु	19	मैथिली
9	पंजाबी	20	संथाली
10	बंगला	21	बोडो
11	मराठी	22	डोगरी

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित 14 दस्तावेज :–

1	सामान्य आदेश	General Orders
2	संकल्प	Resolution
3	परिपत्र	Circulars
4	नियम	Rules
5	प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन	Administrative & other Reports
6	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release
7	संविदाएं	Contracts
8	करार	Agreements
9	अनुज्ञप्तियां	Licences
10	निविदा प्रारूप	Tender Form
11	अनुज्ञा–पत्र	Permits
12	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13	अधिसूचनाएं	Notificatons
14	संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज–पत्र	Reports & Documents to be laid before the Parliament

इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन्हें द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) में जारी किया जा रहा है।

भाषायी दृष्टि से हिंदी बोली जाने और लिखी जाने की प्रधानता के आधार पर देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

'क' क्षेत्र	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
'ख' क्षेत्र	पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य तथा चंडीगढ़, दमन, दीव और दादर–नगर हवेली केंद्रशासित प्रदेश।
'ग' क्षेत्र	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश।

राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्थापित जाँच बिन्दु

1. संबंधित अधिकारी राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि ये द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं।
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।
3. 'क' और 'ख' क्षेत्र में भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाएं।
4. हिंदी पत्राचार के लक्ष्यः 'क' क्षेत्र – 100% 'ख' क्षेत्र – 100% 'ग' क्षेत्र – 65%
5. कार्यालय में प्रयुक्त रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी रूप में होने चाहिए।
6. कार्यालय में प्रयुक्त रबड़ की मोहरें, साईनबोर्ड, पत्र शीर्ष, नामपट्ट, कोड, मैनुअल, फार्म, सूचनापट्ट, बैनर आदि द्विभाषी होने चाहिए।
7. कार्यालय में प्रयोग किए जा रहे कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सॉफ्टवेयर यूनिकोड एनकोडिंग लोड कराया जाए तथा हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाया जाए।
8. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की प्रत्येक मद का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. सेवा पंजियों में प्रविष्टियाँ हिंदी में की जाएं।
10. राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार पत्र, परिपत्र, प्रलेख आदि हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होने चाहिए जिसके अनुपालन का दायित्व इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का है। अतः हस्ताक्षर करने से पूर्व ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये दस्तावेज हिंदी या द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

अंग्रेजी में बहुधा प्रयुक्त होने वाले लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच, आदि भाषाओं के हिंदी पर्यायः

Ab initio	प्रारंभ से	Intra vires	शक्ति के अधीन
Ad hoc	तदर्थ	In toto	समग्र अथवा सकल
Ad Valorem	यथामूल्य	Modus Operandi	कार्यप्रणाली
Bona Fide	प्रामाणिक	Mutatis Mutandis	यथोचित परिवर्तन सहित
Contra	विपरीत	Nexus	कड़ी अथवा बंधन
De facto	वस्तुतः	Nota Bene (N.B.)	ध्यान दें
De Jure	विधिवत अथवा कानूनन	Onus	दायित्व
De Nove	नए सिरे से	Per mensem	प्रति मास
Dies Non	अकार्य दिवस	Prima facie	प्रथम दृश्टया
Errata	शुद्धिपत्र	Pro-rata	यथानुपात
Ex-Cadre	संवर्ग बाहय पद	Sine die	अनिश्चित काल के लिए
Ex-Gratia	अनुग्रहपूर्वक	Suine Qua non	अनिवार्यतः अथवा अपरिहार्य
Ex-Parte	एक पक्षीय	Status Quo	यथास्थिति
Ex-Officio	पदेन	Sub Judice	विचाराधीन
Ex-Post Facto	कार्योत्तर	Ibid	पूर्ववत अथवा समान
Inter alia	के साथ–साथ	Viva Voce	मौखिक

राजभाषा की बढ़ती लोकप्रियता

भाषा की दृष्टि से हिंदी की विकास यात्रा की बात की जाए तो वास्तव में यह एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। किसी भी भाषा के विकास में वहां के समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हिंदी भाषा पर भी यह बात लागू होती है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत रही है जिसके विभिन्न कालखंडों में विभिन्न रूपों में इसका विकास हुआ है। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत 14 सितंबर, 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। वर्ष 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का सुझाव प्रस्तुत किया तब से देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह एवं पखवाड़ा मनाया जाता है। बीते नौ वर्षों में राजभाषा हिंदी को लेकर देश में पहले से अधिक काम हो रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में अब तक कुल 528 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) का गठन किया जा चुका है। अब तो विदेशों में भी जैसे कि लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में नराकास का गठन किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की भी पहल की है।

राजभाषा विभाग ने मौजूदा तकनीकी परिवेश को ध्यान में रखते हुए 'कंठस्थ' नामक स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली विकसित की है और हाल ही में 'हिंदी शब्द सिंधु' शब्दकोष का भी निर्माण किया है। इस शब्दकोष में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करते हुए इसे निरंतर समृद्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग ने 90 हज़ार शब्द का एक वृहत ई—महाशब्दकोष मोबाइल ऐप तथा लगभग 9 हज़ार वाक्य का ई—सरल वाक्यकोश भी तैयार किया है।

हिंदी दिवस 2023 एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, पुणे (महाराष्ट्र)

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' की एक नई परंपरा शुरु की गई है। इसी क्रम में दिनांक 13—14 नवंबर, 2021 में प्रथम 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' बनारस में, दिनांक 14 सितंबर, 2022 को द्वितीय 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' सूरत में और दिनांक 14—15 सितंबर, 2023 को तृतीय 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित किया गया जिसमें देशभर के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, स्वायत्त निकायों के हज़ारों प्रतिभागियों ने भाग लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम, बालेवाड़ी, पुणे में आयोजित सम्मेलन के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ''भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं जिन्हें हमें साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से कभी कोई स्पर्धा न थी और न ही कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त करने का माध्यम बनेगी।''

हिंदी पखवाड़ा : 2023

सितंबर, 2023 में क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदबाद में हिंदी पखवाड़ा के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:

1. कविता पाठ प्रतियोगिता
2. श्रुतलेखन प्रतियोगिता
3. पर्यायवाची शब्द लेखन प्रतियोगिता
4. अनेकार्थी शब्द लेखन प्रतियोगिता
5. नोटिंग–ड्रॉफ्टिंग लेखन प्रतियोगिता
6. मौखिक शोध प्रस्तुति प्रतियोगिता
7. अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता

इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के कार्मिकों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया और हिंदी के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया। विजेता कार्मिकों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र में हिंदी पखवाड़ा आयोजन के चित्र

शैक्षिक गतिविधियां

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी) यूनेस्को के तत्वावधान में जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्ता का स्वायत्त शैक्षिक संस्थान है जिसे क्षेत्रीय एवं वैश्विक साझेदारी द्वारा यूनेस्को के शोध कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए श्रेणी–2 केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है। केन्द्र का उद्देश्य कई विषयों के इंटरफेस पर जैवप्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए मंच प्रदान करना है। केन्द्र के कार्यक्रम छात्रों के लिए बहुविषयक अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जहां वे मानव और पशु स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों को समाधान प्रदान करने हेतु इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा विज्ञान को एकीकृत करते हुए बायोटेक विज्ञान सीखते हैं। इसके अतिरिक्त जैवप्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधनों के लिए आवश्यक प्रतिभा की कमी को पूरा करना है।

शैक्षणिक कार्यक्रमों का अवलोकन

शोध पर आधारित शिक्षा ही आरसीबी के शैक्षणिक कार्यक्रम की पहचान है। केन्द्र का लक्ष्य प्री–डॉक्टरल, डॉक्टरेट और पोस्ट–डॉक्टरल स्तरों पर बायोटेक विज्ञान में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। केन्द्र ने अंतःविषय पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य जैवप्रौद्योगिकी विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर अनुसंधान और विकास करने में सक्षम वैज्ञानिकों का एक अत्यधिक विशिष्ट कैडर तैयार करना है। वर्ष 2017 से जैवप्रौद्योगिकी में पीएचडी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

जैवप्रौद्योगिकी में पीएचडीः आरसीबी विज्ञान, चिकित्सा अथवा प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री (या समकक्ष) धारकों और संरचनात्मक जीव विज्ञान, आणविक चिकित्सा, संक्रामक रोग जीवविज्ञान, कृषि जैवप्रौद्योगिकी, सिस्टम और सिंथेटिक जीवविज्ञान, कैंसर और कोशिका जीवविज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में कई विषयों के इंटरफेस पर अनुसंधान करने के इच्छुक छात्रों को जैवप्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है।

जैवसांख्यिकी एवं जैवसूचना विज्ञान में पीएचडी

आरसीबी वैश्विक फार्मास्युटिकल दिग्गज, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीएसके) के सहयोग से समर्थित बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक अंतःविषय डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है। ये कार्यक्रम आरसीबी संविधि, अध्यादेश तथा विनियमों के अधीन हैं।

आरसीबी संकाय सदस्यों के अतिरिक्त, सहयोगी संस्थानों (आईआईटी दिल्ली, एनआईआई नई दिल्ली, आईसीजीईबी नई दिल्ली, एनआईबीएमजी, कल्याणी) से गठित वर्चुअल सहायक संकाय पूल, इन कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए सलाहकार का कार्य करता है। छात्रों को पहले दो वर्षों के लिए 45,000 रुपये प्रति माह तथा अगले तीन वर्षों के लिए 50,000 रुपये की समेकित फैलोशिप दी जाती है।

जैवप्रौद्योगिकी में एमएस–पीएचडी

आरसीबी ने शोध आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रण सहित 2018–19 में जैवप्रौद्योगिकी में एमएस–पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम कक्षा अध्ययन और व्यावहारिक प्रयोगशाला प्रयोगों के माध्यम से जीवविज्ञान और जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीखने के व्यापक अवसर प्रदान करता है। दूसरे वर्ष में, छात्र पारस्परिक वैज्ञानिक रुचि के क्षेत्र में आरसीबी में संकाय की देखरेख में काम करते हैं, और चौथे सेमेस्टर के अंत तक डेज़रटेशन प्रस्तुत करते हैं।

कोई भी छात्र मास्टर डिग्री प्राप्त करने पर कार्यक्रम छोड़ सकता है अथवा पीएचडी करते हुए इस कार्यक्रम को जारी रख सकता है। कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों को पहले दो वर्षों के लिए 16,000 रुपये प्रति माह की आरसीबी रामचंद्रन–डीबीटी फैलोशिप दी जाती है जिसके बाद, राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी से भारतीय छात्र फैलोशिप सहित पीएचडी कर सकते हैं, जबकि विदेशी छात्रों को आरसीबी–डीबीटी इंटरनेशनल डॉक्टरल फैलोशिप दी जाती है।

आरसीबी में शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरसीबी विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों/ कॉलेजों के जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों के स्नातकोत्तर छात्रों को उनकी स्नातकोत्तर डिग्री की आंशिक पूर्ति के लिए उनके प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करने के लिए शोध प्रशिक्षण प्रदान करता है।

आरसीबी में विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्रों में रुचि रखने वाले छात्रों को अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण/इंटर्नशिप भी प्रदान की जाती है। इनमें छात्र/छात्राओं का चयन उनके जीवनवृत्त में दी गई सूचना तथा शोध लेखों के मूल्यांकन पर किया जाता है। चयनित छात्र/छात्राएं आरसीबी संकाय के परामर्श के अनुसार शोध प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उन्हें समूह के अन्य सदस्यों के सहयोग से उनकी शोध परियोजनाओं को पूरा करना सिखाया जाता है। प्रशिक्षुओं को आधुनिक जैविक अनुसंधान और शोध करियर शुरू करने के कई पहलुओं का यथार्थवादी अनुभव मिलता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि दो से छह महीने की होती है।

आरसीबी के मान्यता प्राप्त केंद्रों में शैक्षणिक कार्यक्रम

आरसीबी ने आरसीबी अधिनियम और आरसीबी अध्यादेश के खंड 10(1) एफ के अनुसार उत्कृष्टता के विभिन्न संस्थानों को उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक मान्यता प्रदान की है। इन कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को डिग्री के लिए आरसीबी में पंजीकृत किया जाता है। वर्तमान में, निम्नलिखित संस्थान और उनके शैक्षणिक कार्यक्रम आरसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तथा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजीकृत छात्रों की संख्या नीचे दी गई है:

मान्यता प्राप्त केन्द्र का नाम	**मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम**
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र (सीडीएफडी), हैदराबाद	पीएचडी (बायोटेक्नोलॉजी)
नवोन्मेशी एवं अनुप्रयुक्त जैव–प्रसंस्करण केंद्र (सीआईएबी), मोहाली	पीएचडी (बायोटेक्नोलॉजी)
राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएबी), हैदराबाद	पीएचडी (बायोटेक्नोलॉजी)
राष्ट्रीय कृषि–खाद्व जैवप्रौद्योगिकी संस्थान (एनएबीआई), मोहाली	पीएचडी (बायोटेक्नोलॉजी)
जीवविज्ञान संस्थान (आईएलएस), भुवनेश्वर	पीएचडी (बायोटेक्नोलॉजी)
राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरजीसीबी), तिरुवनंतपुरम	एमएससी (बायोटेक्नोलॉजी)
ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (टीएचएसटीआई), फरीदाबाद	पीएचडी (बायोमेडिकल साइंस)

मान्यता प्राप्त केन्द्र का नाम	**मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम**
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (एनआईबीएमजी), कल्यानी	एमएस–पीएचडी (इंटीग्रेटिड) (बायोटेक्नोलॉजी : विशिष्टता : बायोमेडिकल जीनोमिक्स) पीएचडी (बायोटेक्नोलॉजी, विशिष्टताः बायोमेडिकल जीनोमिक्स)
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेल्लोर	पीएचडी (मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, विशिष्टताः बायोमेडिकल जेनेटिक्स)
राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र (एनसीसीएस), पुणे	पीएचडी (बायोटेक्नोलॉजी)
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदाबाद	पीएचडी (बायोमेडिकल साइंस)
जैवसंसाधन एवं सतत विकास संस्थान (आईबीएसडी), इम्फाल	पीएचडी (बायोटेक्नोलॉजी)
स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान (इनस्टेम), बंगलौर	पीएचडी (लाइफ साइंस)

अन्य गतिविधियां

संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित विषयों पर व्यापक जानकारी प्रदान करने हेतु कार्यशालाओं के साथ–साथ अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की गईंः–

दिनांक	**विषय**
20 सितंबर, 2023	कवि सम्मेलन का आयोजन
25 सितंबर, 2023	'संघ की राजभाषा नीति' विषय पर कार्यशाला का आयोजन
30 अक्टूबर से 05 नवंबर, 2023	'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन
07 नवंबर, 2023	'मोबीलाईजिंग बायोटक फॉर क्लीन एयर' पर पैनल चर्चा
12 दिसंबर, 2023	श्रीमती रागिनी चंद्रशेखर द्वारा भरतनाट्यम नृत्य
12 दिसंबर, 2023	द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन
22 दिसंबर, 2023	'कार्यालयीन हिंदी और तिमाही प्रगति रिपोर्ट' विषय पर कार्यशाला
17 से 20 जनवरी, 2024	भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन
01 से 29 फरवरी, 2024	खेल सप्ताह का आयोजन
14 फरवरी, 2024	आरसीबी छात्रावास में सरस्वती पूजन
28 फरवरी, 2024	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन
01 मार्च, 2024	आरसीबी स्थापना दिवस का आयोजन
08 मार्च, 2024	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

कवि सम्मेलन

केंद्र सरकार के कार्यालयों में सितंबर के महीने में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है जिसमें सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसी क्रम में संस्थान में भी हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस बार दिनांक 20 सितंबर, 2023 को आयोजित कवि सम्मेलन हिंदी पखवाड़े का मुख्य आकर्षण था जिसमें भोजपुरी भाषा के वक्ता, मंच संचालक तथा हास्य कवि श्री विनय कुमार विनम्र के अतिरिक्त श्री के.के. राजस्थानी, श्री सुनहरी लाल और दूरदर्शन के 'आस्था' तथा 'संस्कार' चैनल' पर प्रस्तुति देने में माहिर श्रीमती सुधा सिंह को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने अपने हास्य और कविताओं से सभी का मन मोह लिया।

पैनल चर्चा पर रिपोर्ट:श्रृंखला 1

'मोबीलाईजिंग बायोटक फॉर क्लीन एयर'

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, (आरसीबी) ने दिनांक 07 नवंबर, 2023 को विश्व विज्ञान दिवस, जो प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है, के उपलक्ष्य में, 'शांति और विकास' पर केंद्रित यूनेस्को (UNESCO), यूएनईपी (UNEP) तथा डब्ल्यूएचओ (WHO) के सहयोग से 'Mobilising Biotechnology for Clean Air' विषय पर मानव स्वास्थ्य के लिए वायु प्रदूषण की समस्या पर प्रकाश डालने के लिए पैनल चर्चा आयोजित की।

इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, छात्रों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, स्टार्ट–अप, उद्यमियों, किसानों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण से जुड़े विभिन्न मुद्दों/चुनौतियों पर पैनल चर्चा, व्याख्यान, जलवायु विज्ञान साक्षरता पर प्रदर्शनी तथा इस सर्वकालिक समस्या के समाधान सुझाने के लिए विचार–विमर्श सत्र आयोजित करना था।

कार्यक्रम का उद्घाटन आरसीबी के कार्यपालक निदेशक डॉ. अरविंद साहू के संबोधन से किया गया। तत्पश्चात सुश्री इंगर एंडरसन, कार्यकारी निदेशक, यूएनईपी, और डॉ. बेन्नो बोअर, अध्यक्ष, प्राकृतिक विज्ञान, यूनेस्को, नई दिल्ली ने वर्चुअल संबोधन प्रस्तुत किए।

इस कार्यक्रम में आरसीबी तथा टीएचएसटीआई के छात्र, स्टॉफ और संकाय उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान आयोजित कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं के प्रति जनता को जागरूक करने के साथ–साथ इस समस्या के उपलब्ध अनेक समाधानों पर विचार करना था। सदस्य दल इस समस्या पर प्रकाश डालने के लिए ऐसे अधिकाधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित करने के प्रति आशान्वित है जिनमें कम से कम एक समाधान ढूंढा जा सके। तत्पश्चात आगामी कार्यक्रमों में की गई कार्रवाई से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएं। इस दौरान वर्ष में ऐसे 02 कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

क्रम सं.	वार्ता का शीर्षक	वक्ता
	पेनल I. एयर पोल्यूशनः हेल्थ इश्यूज एंड होप्स	– मॉडरेटरः डॉ. बेन्नो बोयर (चीफ, नेचुरल साइंसेज) यूनेस्को, नई दिल्ली
1.	सस्टेनेबल बायोफर्टिलाईजर्स एंड बायोपेप्टीसाइड्स फ्रॉम एग्री–रेजीड्यू डिराईव्ड लिगनिन	डॉ. जयिता भौमिक साइंटिस्ट–ई, डीबीटी–सीआईएबी (डीबीटी, भारत सरकार), मोहाली, पंजाब (मुख्य वक्ता)
2.	हेल्थ इश्यूज बेस्ड ऑन परमानेंट सब–डब्ल्यूएचओ स्टेंडर्ड एयर क्वालिटी इन न्यू दिल्ली	डॉ. हर्शल साल्वे (एडिशनल प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडीसन, एम्स, नई दिल्ली)
3.	व्हॉट डज़ इट टेक टू क्लीन दिल्ली एयर?	डॉ. सागनिक डे (इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर, सीएएस, आईआईटी, दिल्ली)
4.	रोल ऑफ द हेल्थ सेक्टर इन एयर पोल्यूशन	डॉ. वरुण काकडे (डब्ल्यूएचओ)
5.	ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर–नेविगेटिंग सोल्यूशंस फॉर पोल्यूशन फ्री फ्यूचर	सुश्री कृति अहूजा (स्टूडेंट रिप्रेजेन्टेटिव, आरसीबी)
	पेनल II. चैलेंजिज एंड सोल्यूशंस	– मॉडरेटर : डॉ. थल्लड़ भास्कर (चीफ साइंटिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून)
6.	द प्रोडक्शन ऑफ इथानोल बेस्ड ऑन राइस स्ट्रॉ	डॉ. शम्स सैयद यज़दानी (ग्रुप लीडर, माइक्रोबियल इंजीनियरिंग, आईसीजीईबी, नई दिल्ली)
7.	रोल ऑफ डीपटेक स्टार्टअप्स इन बिल्डिंग सस्टेनेबल फ्यूचर	मि. अर्पित धुपर (सीईओ, धरक्षा फाउन्डेशन प्राइवेट लिमि.)
8.	सोल्यूशंस फॉर क्लीन एयर	डॉ. वेलेन्टीन फोल्सू (यूएनईपी/सीसीएसी सचिवालय)
9.	बिल्डिंग सस्टेनेबल भारत विद हेल्प ऑफ न्यू कंपनीज	सुश्री वर्शा शाह (फॉर्मर रिप्रेजेन्टेटिव, धरक्षा फाउन्डेशन प्राइवेट लिमि.)
यूनेस्को/यूएनईपी/डब्ल्यूएचओ से आए अन्य प्रतिनिधि		
1.	स्टेफनी मुर्र	
2.	सृष्टि कुमार	
3.	एलिजाबेथ वासु	
4.	लवीना सिक्वेरा	

कार्यक्रम का समापन डॉ. निधि शर्मा, कार्मिक अधिकारी, आरसीबी द्वारा दिए गए संबोधन से किया गया। तत्पश्चात 'जलवायु विज्ञान साक्षरता' पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रत्येक चर्चा के बाद प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी रही।

कार्यशाला की रिकार्डिंग के लिए लिंकः https://www.youtube.com/watch?v=Ddxb0-KAAZo

कार्यक्रम के प्रतिनिधिमंडल तथा पीठासीन अधिकारियों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें नीचे दी गई हैं:

World Science Day for Peace and Development
Panel Discussion
Mobiliz Biotech Clean Air

हिन्दुस्तान

अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन समारोह में बोले मनोहर लाल, फरीदाबाद-गुरुग्राम में तलाश रहे जमीन

साइंस सिटी बनाकर वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देंगे : मुख्यमंत्री

अंतरराष्ट्रीय
विज्ञान
महोत्सव

फरीदाबाद, मुख्य संवाददाता। फरीदाबाद में आयोजित केंद्र सरकार के भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की तरह हरियाणा में भी सरकार साइंस को बढ़ावा देगी। इसके लिए फरीदाबाद या गुरुग्राम में 50 एकड़ में साइंस सिटी खोली जाएगी। इसमें नए वैज्ञानिक शोध नवाचार पर जोर दिया जाएगा।

थिस्टी बायोटेक संस्थान में आयोजित चार दिवसीय भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन समारोह में शनिवार को बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की।

फरीदाबाद या गुरुग्राम में होगी स्थापना : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार फरीदाबाद या गुरुग्राम जिला में से एक में 50 एकड़ में साइंस सिटी की स्थापना करेगी। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। जहां जमीन मिल जाएगी और मापदंड पूरे होंगे, वहां साइंस सिटी बनाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्होंने कहा कि इस विज्ञान महोत्सव में छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, उद्यमी, शिक्षाविद, स्टार्टअप तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भागीदारी की है। ये सभी भागीदार बधाई के पात्र हैं। उन्होंने विज्ञान को प्रयोगशाला से बाहर निकालकर जमीनी स्तर तक पहुंचने के तरीकों को ढूंढने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज स्थानीय समस्याओं पर शोध करकेउनके समाधान की आवश्यकता है। इस तरह के विज्ञान उत्सव युवाओं में एक नई ऊर्जा, एक नये दृष्टिकोण का संचार करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अग्रसर होने के लिए प्रेरित भी करते हैं।

फरीदाबाद में शनिवार को महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीप जलाकर समापन सत्र का शुभारंभ करते हुए। • हिन्दुस्तान

कोरोना वैक्सीन और चंद्रयान-3 उपलब्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे वैज्ञानिकों की अपार क्षमता का ही परिणाम है कि भारत कोरोना की दो वैक्सीन विकसित करने में सफल रहा। विदेशों को भी वैक्सीन दी गई। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। यह हमारी उपलब्धि है। हमारा यान आदित्य एल-1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है।

हर जिले में होगी विज्ञान क्लब की स्थापना

मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले के 10 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान क्लबों की स्थापना की जा रही है। ये विज्ञान क्लब युवा छात्रों के बीच वैज्ञानिक सोच एवं जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेधावी छात्रों की विज्ञान में रुचि को बढ़ाने के लिए एक्सपोज़र विजिट आयोजित की जाती हैं।

50 एकड़ में फरीदाबाद या गुरुग्राम में स्थापित होगी साइंस सिटी

17 विषयों पर गतिविधियों का आयोजन किया गया महोत्सव में

चार दिन चला महोत्सव

चार दिनों तक चले इस महोत्सव में 17 विषयों पर वर्कशॉप, संगोष्ठियों, विज्ञान प्रतियोगिताओं, प्रौद्योगिकी शो, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया गया है।

छात्रवृत्ति दी जा रहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान विषयों को पढ़ने वाले छात्रों के लिए 11वीं कक्षा से लेकर शोध स्तर तक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। 11वीं व 12वीं के लिए 15 सौ रुपये, बीएससी के लिए चार हजार, एमएससी में छह हजार तथा पीएचडी के लिए 18 से 21 हजार रुपये प्रतिमाह तक की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

लोग भाषण नहीं सुन पाए

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऑनलाइन लाइव भाषण सुनाने के लिए हरियाणा लोक संपर्क विभाग ने सोशल मीडिया पर लिंक जारी किया, लेकिन इसमें तकनीकी खामी आ गई। वीडियो चलती रही, मगर अधिकांश समय मुख्यमंत्री की आवाज सुनाई नहीं दी। दर्शकों ने ऑनलाइन कमेंट करके इसकी शिकायत भी की।

ये रहे उपस्थित

इस अवसर पर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित कई गणमान्य तथा बड़ी संख्या में स्कॉलर व छात्र उपस्थित थे।

RCB Day

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र
Regional Centre
for Biotechnology

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र
शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंघान के लिए राष्ट्रीय महत्ता की संस्था
जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के तत्वावधान में स्थापित
द्वितीय मील पत्थर, फरीदाबाद–गुडगांव एक्सप्रेसवे
फरीदाबाद–121001, हरियाणा, भारत
वबसाईटः http://www.rcb.res.in